उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973

और

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण

(कमजार वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये वैकल्पिक भूमि या आवास) नियमावली, 1997

उत्तरांचल शासन
आवास एवं शहरी विकास विभाग
संख्याः–1081 श0वि0–आ0/2002–238(न0वि0)/2002
देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो ;

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर योजना निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आबंटन) नियमावली 1994, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत् लागू है ;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा–87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973)
अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.संक्षिप्त एवं प्रारम्भ (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं शीर्षक उपान्तरण आदेश , 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2.उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढा जाना उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में जहां–जहां पर शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां–वहां वर शब्द "उत्तरांचल" पढा जायेगा।

ह0 अपठनीय

(पी0के0 महान्ति)
सचिव

CONTENTS
विषय-सूची

CHAPTER I

अध्याय I

PRELIMINARY

प्रारम्भिक

1 Short title and extent 1
(संक्षिप्त शीर्षक एवं विस्तार)

2 Definitions 1
(परिभाषाएं)

CHAPTER II

अध्याय II

THE DEVELOPMENT AUTHORITY AND ITS OBJECTS

विकास प्राधिकरण और उसके उद्देश्य

3 Declaration of Development Areas 3
(विकास क्षेत्रों की घोषणा)

4 The Development Authority 3
(विकास प्राधिकरण)

5 Staff of the Authority 5
(प्राधिकरण के कर्मचारी)

5-A Creation of Centralised Services 5
(केन्द्रीकृत सेवाओं का सृजन)

6 Advisory Council 6
(सलाहकार परिषद्)

7 Objects of the Authority 7
(प्राधिकरण का उद्देश्य)

CHAPTER III

अध्याय III

MASTER PLAN AND ZONAL DEVELOPMENT PLAN

महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना

8 Civil survey of, and master plan for the development area 7
(विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण और, के लिये महायोजना)

9 Zonal Development Plans 7
(क्षेत्रीय विकास योजना)

10 Submission of plans to the State Government for approval 8
(योजना को राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिये पेश करना)

11 Procedure to be followed in the preparation and approval of plan 9
(योजना की तैयारी और अनुमोदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया)

12. Date of commencement of plan 9
(योजना के प्रारम्भ की तारीख)

CHAPTER III-A

अध्याय III-क

ARTERIAL ROADS IN DEVELOPMENT AREA

विकास क्षेत्र में प्रमुख सड़कें

12-A. Maintenance and improvement of facade of certain buildings abutting arterial roads 9
(प्रमुख सड़क से संलग्न कतिपय भवनों के गृह मुख का रख-रखाव और सुधार)

CHAPTER IV

अध्याय IV

AMENDMENT OF THE MASTER PLAN AND THE ZONAL DEVELOPMENT PLAN

महायोजना और आंचलिक विकास योजना का संशोधन

13. Amendment of plan 10
(योजना का संशोधन)

CHAPTER V

अध्याय V

DEVELOPMENT OF LANDS

भूमि का विकास

14. Development of land in the development area 11
(विकास क्षेत्र में भूमि का विकास)

15. Application for permission 12
(अनुमति के लिये आवेदन)

15-A. Completion certificate 14
(पूर्णता प्रमाण-पत्र)

16. Uses of land and buildings in contravention of plans 15
(योजना के उल्लंघन में भूमि और भवन का प्रयोग)

CHAPTER VI

अध्याय VI

ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND

भूमि का अर्जन और निस्तारण

17. Compulsory acquisition of land 15
(भूमि का अनिवार्य अर्जन)

18. Disposal of land by the Authority or the local authority concerned 15
(सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि का निस्तारण)

19. Nazul lands 17
(नजूल भूमि)

CONTENTS V

CHAPTER VII

अध्याय VII

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

वित्त, लेखा और लेखा सम्परीक्षा

20. Fund of the Authority 17
(प्राधिकरण का कोष)

21. Budget of the Authority 18
(प्राधिकरण का आय-व्यय लेखा)

22. Accounts and Audit 18
(लेखा और लेखा सम्परीक्षा)

23. Annual Report 19
(वार्षिक रिपोर्ट)

24. Pension and Provident Fund 19
(पेंशन और भविष्य निधि)

CHAPTER VIII

अध्याय VIII

SUPPLEMENTAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

अनुपूरक और प्रकीर्ण उपबन्ध

25. Power of entry 19
(प्रवेश की शक्ति)

26. Penalties 20
(शास्ति)

26-A. Encroachment or obstruction on public land 21
(सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवरोध)

26-B. Claim for compensation for removal under Section 26-A 23
(धारा 26-क के अधीन हटाने के लिये प्रतिकर के लिये दावा)

26-C. Authority may, without notice remove anything erected or deposited in contravention of Act 24
(प्राधिकरण अधिनियम के उल्लंघन में निर्मित या निक्षिप्त किसी चीज को नोटिस के बिना हटा सकेगा)

26-D. Penalty for not preventing encroachment 24
(अतिक्रमण को निवारित न करने के लिये शास्ति)

27. Order of demolition of building 24
(भवन गिराने का आदेश)

28. Power to stop development 25
(विकास को रोकने की शक्ति)

28-A. Power to seal unauthorised development 0
(अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति)

29. Conferment of other powers on the Authority 26
(प्राधिकरण को अन्य शक्ति प्रदान करना)

30. Offences by companies 26
(कम्पनियों द्वारा अपराध)

31. Fines when realised to be paid to the Authority 27
(जुर्माने का, जब वसूल किया जाय, भुगतान प्राधिकरण को किया जाय)

32. Composition of offences 27
(अपराधों का शमन)

33. Power of the Authority to provide amenity or carry out development at cost of owner in the event of his default and to levy cess in certain cases 27
(प्राधिकरण की सुख सुविधा प्रदान करने या स्वामी के व्यतिक्रम की स्थिति में उसके व्यय पर विकास करने और कतिपय मामलों में उपकर उद्गृहीत करने की शक्ति)

34. Power of Authority to require local authority to assume responsibilities in certain cases 29
(प्राधिकरण की कतिपय मामलों में उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिये स्थानीय प्राधिकरण से अपेक्षा करने की शक्ति)

35. Power of Authority to levy betterment charges 29
(प्राधिकरण की विकास प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति)

36. Assessment of betterment charge by Authority 30
(प्राधिकरण द्वारा विकास प्रभार का निर्धारण)

37. Finality of decision 31
(विनिश्चय की अन्तिमता)

38. Payment of betterment charge 31
(विकास प्रभार का भुगतान)

39. Additional Stamp-duty on certain transfers of property 31
(सम्पत्ति के कतिपय अन्तरण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क)

39-A. Toll for amenities 32
(सुख सुविधाओं के लिये पथकर)

40. Recovery of moneys due to Authority 32
(प्राधिकरण के बकाया धन की वसूली)

41. Control by State Government 33
(राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण)

42. Returns and inspections 34
(विवरणी और निरीक्षण)

43. Service of notices, etc. 34
(नोटिस इत्यादि की तामीली)

44. Public notice how to be made known.....36
(सार्वजनिक नोटिस कैसे जानकारी में लायी जायेगी)
45. Notices etc., to fix reasonable time.....36
(नोटिस इत्यादि युक्तियुक्त समय नियत करेगा)
46. Authentication of orders and documents of Authority.....36
(आदेशों का प्रमाणीकरण तथा प्राधिकरण के दस्तावेज)
47. Members and Officers to be public servants.....36
(सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे)
48. Jurisdiction of Courts.....36
(न्यायालयों की अधिकारिता)
49. Sanction of prosecution.....36
(अभियोजन की स्वीकृति)
50. Protection of action taken in good faith.....36
(सद्भाव में की गयी कार्यवाही के लिये अभियोजन)
51. Power to delegate.....37
(प्रत्यायोजन करने की शक्ति)
52. Savings.....37
(व्यावृत्ति)
53. Exemption.....37
(छूट)
54. Plans to stand modified in certain cases.....37
(कतिपय मामलों में योजना को उपान्तरित किया जाएगा)
55. Power to make rules.....38
(नियम निर्मित करने की शक्ति)
56. Power to make regulations.....38
(विनियम निर्मित करने की शक्ति)
57. Power to make bye-laws.....39
(उप-विधि निर्मित करने के शक्ति)
58. Dissolution of Authority.....40
(प्राधिकरण का उपघटन)
59. Repeal etc. and savings.....40
(निरसन इत्यादि और व्यावृत्ति)
60. Repeal and savings.....47
(निरसन और व्यावृत्ति)

The Uttar Pradesh Development Authorities (Alternative Land Or Accommodation for Rehabilitation of persons belonging to weaker sections) Rules, 1997.....48-50

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये वैकल्पिक भूमि या आवास) नियमावली, 1997

उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973

[1973 का राष्ट्रपतीय अधिनियम, 11, जैसा कि पुनः अधिनियमित किया गया है, और 1974 के उ०प्र० अधिनियम 30, 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13, 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19, 1976 के उ०प्र० अधिनियम 41, 1976 के उ०प्र० अधिनियम 47, 1976 के उ०प्र० अधिनियम 48, 1978 के उ०प्र० अधिनियम 14, 1980 के उ०प्र० अधिनियम 10, 1982 के उ०प्र० अधिनियम 6, 1983 के उ०प्र० अधिनियम 28, 1985 के उ०प्र० अधिनियम 21, 1995 के उ०प्र० अधिनियम 1, 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3, 2000 के उ०प्र० अधिनियम 9 और 2008 के उ०प्र० अधिनियम 1 द्वारा संशोधित किया गया है]

[1][* * *]

योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के विकास के लिए और उससे आनुषंगिक मामलों के लिये प्रावधान करने के लिये अधिनियम

[2][एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :]

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं विस्तार**—(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों और प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, अध्यपेक्षित या पट्टे पर ली गयी भूमि को अपवर्जित करके सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर है।

2. परिभाषायें—इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं है, तब तक—

(क) *"सुविधा"* में सड़क, जलापूर्ति, सड़क प्रकाश, जल-विकास, मल-निर्यात और ऐसी अन्य सुविधा शामिल है, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे;

(ख) *"भवन"* में संरचना, निर्माण या संरचना या निर्माण का भाग शामिल है, जो आवासीय, औद्योगिक वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाने के लिये आशयित है, चाहे वास्तविक प्रयोग में हो या अन्यथा;

(ग) *"निर्माण संक्रिया"* में पुनर्निर्माण संक्रिया, भवन में संरचनात्मक परिवर्तन या परिवर्धन और अन्य संक्रिया शामिल है, जो सामान्यतः भवन के सन्निर्माण के सम्बन्ध में किया जाता है,

(घ) *"उप-विधि"* से ऐसी उप-विधि अभिप्रेत है, जो विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्मित की गयी हो,

[3][(घघ) *"अध्यक्ष"* और *"उपाध्यक्ष"* से क्रमशः विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत होगा;]

[4][(घघघ) नगर विकास प्रभार का तात्पर्य ऐसे प्रभार से है जो धारा 38-A के अन्तर्गत (निजी) विकासकर्ता पर भूमि विकास के लिए लगाया जाता है;]

---

1. 1974 के उ०प्र० अधिनियम 30 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया।
2. 1974 के उ०प्र० अधिनियम 30 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 2008 के उ०प्र० अधिनियम 1 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

(झ) *"विकास"* से, इसके व्याकरणिक भिन्नता सहित, भूमि में, पर, के ऊपर या नीचे निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य क्रिया करना और किसी भवन या भूमि में कोई तात्विक परिवर्तन करना अभिप्रेत है और इसमें पुनः विकास शामिल है;

(ञ) *"विकास क्षेत्र"* से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र होना घोषित किया गया हो;

(ट) किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में *"विकास प्राधिकरण"* या *"प्राधिकरण"* से उस क्षेत्र के लिये धारा 4 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है,

[1][(ठठ) *"विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा"* से धारा 5-क के अधीन सृजित केन्द्रीयित सेवा अभिप्रेत है;

[2][(ठठठ) *"विकास फीस"* से ऐसी फीस अभिप्रेत है, जो विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, जल-निकास, मल-निकास विद्युत आपूर्ति और जल आपूर्ति लाइन के सन्निर्माण के लिये धारा 15 के अधीन व्यक्ति या निकाय पर उद्गृहीत है];

(ड) *"अभियांत्रिकी संक्रिया"* में सड़क के निर्माण या सड़क तक पहुँच को अर्पित करने और जल-आपूर्ति के साधनों को अर्पित करना शामिल है;

[4][(डड) *"भूमि उपयोग सपरिवर्तन प्रभार"* का तात्पर्य ऐसे प्रभार से है जो धारा 38-A के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या संकाय पर किसी महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना में भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु लगाया जाता है;

(डडड) *'लाइसेंस शुल्क'* का तात्पर्य ऐसे शुल्क से है जो किसी विकासकर्ता पर लगाया जाता है जो धारा 39-B के अन्तर्गत विकास क्षेत्र में भूमि के समुच्चयकरण और विकास के लिए लाइसेन्स की माँग करते हैं ।]

(ढ) *"पहुँच का साधन"* में वाहनों के लिये या पदयात्रियों के लिये पहुँच का साधन शामिल है, चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक और इसमें सड़क शामिल है;

[5][(ढढ) *"नामान्तरण प्रभार"* से ऐसा प्रभार अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा अन्य व्यक्ति को आवंटित सम्पत्ति का अपने नाम में नामान्तरण की ईप्सा करने वाले व्यक्ति पर धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाती है];

[4][(ढढढ) *'निजी विकासकर्ता'* का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति, कम्पनी अथवा संस्था अथवा व्यक्तियों के संकाय से है जो चाहे निगमित हो अथवा नहीं, जो कि विकास कार्य हेतु खरीद के द्वारा अथवा अन्यथा प्राप्त भूमि पर स्वामित्व रखता हो, संयोजक हो अथवा स्वामित्व या संयोजन के लिए सहमत हो और जिन्हें धारा 34-B के अन्तर्गत लाइसेन्स प्रदान किया गया है ।]

(त) *"विनियम"* से विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्मित विनियम अभिप्रेत है;

(थ) *"नियम"* से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियम अभिप्रेत है;

[3][(दद) *"ढेर लगाने की फीस"* से ऐसी फीस अभिप्रेत है, जो धारा 15 के अधीन व्यक्ति या निकाय पर उद्गृहीत है, जो प्राधिकरण की भूमि पर या सार्वजनिक सड़क पर या सार्वजनिक स्थल पर भवन सामग्री रखता है;]

(ध) *"भवन निर्माण करना"* में इसके व्याकरणिक भिन्नताओं सहित शामिल है—

(i) किसी भवन का तात्विक परिवर्तन या विशदीकरण;

(ii) संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा—

(क) भवन का, जो मूलतः मानवीय आवास के स्थान में मानवीय आवास के लिये सन्निर्मित नहीं है, या

(ख) मानवीय आवास के लिये एक से अधिक आवास में, भवन का, जो मूलतः एक ऐसे स्थान के रूप में निर्मित है, या

---

1. 1985 के उ०प्र० अधिनियम 21 की धारा 2 द्वारा (22.10.1984 से) अन्तःस्थापित ।
2. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित ।
4. 2008 के उ०प्र० अधिनियम 1 की धारा द्वारा अन्तःस्थापित ।
5. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित ।

(ग) मानवीय आवास के दो या अधिक स्थानों का, ऐसे स्थानों की अधिकतर संख्या में, संपरिवर्तन;

(iii) भवन का ऐसा परिवर्तन, जो उसके जल निकास या सफाई व्यवस्था के परिवर्तन को प्रभावित करे या तात्त्विक रूप से उसकी सुरक्षा को प्रभावित करे;

(iv) किसी भवन में किसी कमरे, निर्माण, गृहों या अन्य संरचना का परिवर्धन, और

(v) किसी सड़क या भूमि से, जो दीवार के स्वामी से सम्बन्धित नहीं है, सम्बन्धित दीवार में, ऐसी सड़क या भूमि पर खुलने वाले दरवाजे का सन्निर्माण;

[1][(ठठ) *"जल-फीस"* से ऐसी फीस अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति किये गये जल का भवन निर्माण संक्रिया या भवन के सन्निर्माण के लिये प्रयोग करने वाले व्यक्ति या निकाय पर धारा 15 के अधीन उद्गृहीत किया जाता है];

(ड) *'क्षेत्र'* से उन खण्डों में से कोई एक अभिप्रेत है, जिनमें विकास क्षेत्र का विभाजन इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा;

(ढ) पद *"भूमि"* का वही अर्थ होगा, जो उसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 में उसे समनुदेशित है।

अध्याय II

विकास प्राधिकरण और उसके उद्देश्य

3. विकास क्षेत्रों की घोषणा—यदि राज्य सरकार की राय में राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का योजना के अनुसार विकास किये जाने की अपेक्षा की जाती है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, क्षेत्र को विकास क्षेत्र होने की घोषणा कर सकेगी।

4. विकास प्राधिकरण—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी क्षेत्र के लिये प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, जिसे विकास प्राधिकरण कहा जाएगा।

(2) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में दिये गये नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका सम्पत्ति, जंगम और स्थावर दोनों, को अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वह वाद दाखिल करेगा और उसके विरुद्ध वाद दाखिल किया जायेगा।

(3) विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसमें शहर का, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित है, सम्पूर्ण या कोई भाग शामिल है, प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित से होगा, अर्थात् —

(क) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी;

(ख) उपाध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी;

[2][(ग) राज्य सरकार के विभाग का, जिसमें, तत्समय विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित कारोबार का संव्यवहार किया जा रहा है, भार साधक सचिव, पदेन];

(घ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का भार साधक सचिव, पदेन;

---

1 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

2 1985 के उ०प्र० अधिनियम 21 की धारा 3 द्वारा (22.10.1984 से) प्रतिस्थापित।

(ङ) मुख्य नगर और देश नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

[1][(च) उत्तर प्रदेश जल-आपूर्ति और मल-निकास अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबन्ध निदेशक, पदेन];

(छ) मुख्य नगर अधिकारी, पदेन;

(ज) प्रत्येक जिले का, जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट, पदेन;

(झ) चार सदस्य, जिनका निर्वाचन उक्त शहर के नगर महापालिका के सभासदों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा :

परन्तु कोई ऐसा सदस्य इस प्रकार पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा, ज्योंही वह नगर महापालिका का सदस्य होने से प्रविरत हो जाता है;

(ञ) तीन से अनधिक ऐसे सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाय;

(4) उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूर्ण कालिक होगी।

(5) उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधि से ऐसे वेतन और भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा और सेवा की ऐसे शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा, जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाये।

(6) उप-धारा (3) के खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के बदले खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य के मामले में विभाग के उप-सचिव की श्रेणी से अन्यून और खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य के मामले में नगर नियोजक की श्रेणी से अन्यून और खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य के मामले में अधीक्षण अभियन्ता की श्रेणी से अन्यून अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और मतदान करने का भी अधिकार होगा।

(7) उप-धारा (3) में वर्णित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण का गठन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच से अन्यून तथा ग्यारह से अनधिक ऐसे अन्य सदस्यों से होगा, जिनमें विकास क्षेत्र में अधिकारिता धारण करने वाले नगर पालिका परिषदों और अधिसूचित क्षेत्र समितियों से कम से कम एक सदस्य शामिल है, जो ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय :

परन्तु उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने पर उसका पद रिक्त किया माना जाएगा।

(8) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकरण में किसी रिक्ति की विद्यमानता या के गठन में किसी व्यतिक्रम के कारण अविधिमान्य नही होगी।

---

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. प्राधिकरण के कर्मचारी—(1) राज्य सरकार को उपयुक्त व्यक्तियों को क्रमशः प्राधिकरण के सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विनियम द्वारा विहित किया जाय या प्राधिकरण अथवा उसके उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किया जाय।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाये, प्राधिकरण ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जैसा कि उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक हो और उनके पद, नाम तथा संवर्ग को अवधारित कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण का सचिव, मुख्य लेखाधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी प्राधिकरण के कोष से ऐसे वेतन तथा भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा शासित किये जायेंगे, जैसा कि इस निमित्त निर्मित विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय।

[1][**5-क केन्द्रीयित सेवाओं का सृजन**—(1) धारा 5 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी चीज के होते हुए भी राज्य सरकार, किसी समय, अधिसूचना द्वारा, धारा 59 की उप-धारा (4) में वर्णित पदों के अतिरिक्त ऐसे अन्य पदों के लिये, जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझे, एक या अधिक "विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा" सृजित कर सकेगी, जो सभी विकास प्राधिकरणों के लिये सामान्य हो और ऐसी सेवा में भर्ती के ढंग और शर्तों को और ऐसी सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवा के निबन्धनों और शर्तों को विहित कर सकेगी।

(2) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सृजन पर, ऐसे सृजन के तत्काल पूर्व ऐसी सेवा में शामिल किये गये पद पर सेवारत व्यक्ति, जो उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 द्वारा शासित या प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति नहीं है, ऐसी सेवा में, यदि वह अन्यथा विकल्प नहीं देता, आमेलित किया जाएगा—

(क) अन्तिम रूप से, यदि वह अपने पद में पहले ही स्थायी किया गया था; और

(ख) अस्थायी रूप से, यदि वह अस्थायी या स्थानापन्न पद धारण कर रहा था।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसी विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सृजन के तीन मास के भीतर, सरकार के आवास विभाग को ऐसी केन्द्रीयित सेवा में आमेलित न किये जाने के लिये अपने विकल्प की संसूचना देगा, जिसमें असफल रहने पर यह माना जाएगा कि उसने ऐसी केन्द्रीयित सेवा में अन्तिम या अस्थायी, यथास्थिति, आमेलन के लिये विकल्प दिया है।

(4) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में अन्तिम आमेलन के लिये अस्थायी रूप से आमेलित व्यक्ति की उपयुक्तता की परीक्षा विहित ढंग में की जाएगी और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे अन्तिम रूप से आमेलित किया जाएगा।

(5) कर्मचारी की, जो आमेलन के विरुद्ध विकल्प देता है या जो अन्तिम आमेलन के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता, सेवा समाप्त की जाएगी और वह, किसी अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि या उपदान के, जिसके लिये वह हकदार होगा, अपने दावे के प्रतिकूल हुए बिना सम्बद्ध विकास प्राधिकरण से—

---

1. 1985 के उ०प्र० अधिनियम 21 की धारा 4 द्वारा (22.10.1984 से) अन्त:स्थापित।

(क) तीन मास के वेतन के, यदि वह स्थायी कर्मचारी था,

(ख) एक मास के वेतन के, यदि वह अस्थायी कर्मचारी था,

समान धनराशि को प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये "वेतन" में महंगाई भत्ता, व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन, यदि कोई हो, शामिल करता है।

(6) राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक विकास प्राधिकरण से दूसरे में स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा।]

6. सलाहकार परिषद—(1) राज्य सरकार, यदि वह ठीक समझती है, महायोजना की तैयारी पर या विकास की योजना से सम्बन्धित या इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत या के सम्बन्ध में ऐसे अन्य मामलों पर, जिनको प्राधिकरण द्वारा उसको निर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिये सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी।

(2) धारा 4 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में सलाहकार परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्—

(क) प्राधिकरण का अध्यक्ष, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) मुख्य नगर और देश नियोजक, उत्तर प्रदेश और मुख्य अभियन्ता, स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग, उत्तर प्रदेश पदेन;

(ग) निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश या उसका नामांकिती, जो उप-निदेशक की श्रेणी से न्यून न हो, पदेन;

(घ) विकास क्षेत्र की परिसीमा के भीतर अधिकारिता धारण करने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के चार प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उनके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा;

(ङ) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या उसका नामांकिती, जो उप परिवहन आयुक्त की श्रेणी से न्यून नहीं होगा, पदेन;

(च) अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश या उसका नामांकिती, पदेन;

(छ) लोक सभा और राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग शामिल है;

(ज) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनका विकास क्षेत्र में निवास है;

(झ) राज्य सरकार द्वारा नामांकित किये जाने वाले तीन सदस्य, जिनमें से विकास क्षेत्र में एक श्रमिक के हित, एक उद्योग और वाणिज्य के हित का प्रतिनिधित्व करेगा।

(3) उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के प्रयोजन के लिये राज्य सभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य का निवास स्थान वह होना माना जाएगा, जो ऐसे सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन अधिसूचना या नामांकन में, यथास्थिति, वर्णित है।

(4) उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित सदस्य परिषद में अपने निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिये अर्ह होगा :

परन्तु ऐसे अवधि समाप्त हो जाएगी, ज्योंही सदस्य स्थानीय निकाय का, जिससे वह निर्वाचित किया गया था, सदस्य होने से प्रविरत हो जाता है।

(5) उप-धारा (2) में वर्णित विकास क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में सलाहकार परिषद्, यदि कोई हो, में इतने सदस्य शामिल होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

(6) [1][सलाहकार परिषद] की बैठक तब होगी, जैसे और जब अध्यक्ष द्वारा बुलायी जाय :

परन्तु ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।

7. प्राधिकरण का उद्देश्य—प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र को उन्नत करना और विकास को सुनिश्चित करना होगा और इस प्रयोजन के लिये प्राधिकरण को भूमि और अन्य सम्पत्ति को अर्जित करने, धारण करने, प्रबन्ध करने और निस्तारित करने, भवन निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन और अन्य कार्य करने, जल और विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्य निष्पादित करने, मल निकास को निस्तारित करने, अन्य सेवाओं और सुविधाओं को प्रदान करने तथा बनाये रखने और साधारणतया ऐसे विकास के प्रयोजनों के लिये और इससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक या समीचीन कोई चीज करने के लिये शक्ति होगी :

परन्तु जैसा कि अधिनियम में उपबन्धित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी चीज का अर्थान्वयन प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवमानना को प्राधिकृत करने के रूप में नहीं किया जाएगा।

अध्याय III

महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना

8. विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण और, के लिये महायोजना—(1) प्राधिकरण, यथाशक्य शीघ्र, विकास क्षेत्र के लिये महायोजना तैयार करेगा।

(2) विकास योजना—

(क) विभिन्न क्षेत्रों को नियत करेगी, जिनमें विकास क्षेत्र का विभाजन विकास के प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा और उस ढंग को, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में भूमि प्रयोग किये जाने के लिये प्रस्तावित है (चाहे उस पर विकास कार्य करके या अन्यथा) और प्रक्रमों को निर्दिष्ट करेगी, जिसके द्वारा कोई ऐसा विकास किया जाएगा, और

(ख) संरचना के मूल प्रतिमान के रूप में कार्य करेगा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास की योजना तैयार की जा सकेगी।

(3) महायोजना किसी अन्य मामले के लिये प्रावधान कर सकेगी, जो विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिये आवश्यक हो।

9. क्षेत्रीय विकास योजना—(1) महायोजना की तैयारी के साथ ही साथ या उसके बाद यथाशक्य शीघ्र, प्राधिकरण क्षेत्रों में, जिनमें विकास क्षेत्र को विभाजित किया जा सकेगा, में से प्रत्येक के लिये क्षेत्रीय विकास योजना की तैयारी के लिये कार्यवाही करेगा।

(2) क्षेत्रीय विकास योजना—

(क) में क्षेत्र के विकास के लिये स्थल नक्शा और प्रयोग-योजना अन्तर्विष्ट हो सकेगी और ऐसी चीजों, जैसे सार्वजनिक भवन और अन्य सार्वजनिक कार्य और उपयोगिता, सड़क, आवास, मनोरंजन, उद्योग, कारोबार, बाजारों, विद्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत खुले स्थलों तथा सार्वजनिक और व्यक्तिगत प्रयोगों के अन्य संवर्गों के लिये क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि की लगभग अवस्थिति और भूमि प्रयोग के विस्तार को दर्शित कर सकेगी,

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) जनसंख्या घनत्व और भवन घनत्व को विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र को दर्शित कर सकेगी, जिसे, प्राधिकरण की राय में, विकास या पुनर्विकास के लिये घोषित किये जाने की अपेक्षा की जा सकेगी, और

(घ) विशिष्ट रूप से निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के सम्बन्ध में प्रावधान अन्तर्विष्ट कर सकेगी, अर्थात्:—

(i) किसी स्थल का भवन निर्माण के लिये भू-खण्डों में विभाजन;

(ii) सड़कों, खुले स्थानों, बागों, मनोरंजन-स्थलों, विद्यालयों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि का आवंटन या आरक्षण;

(iii) किसी क्षेत्र का नगर या बस्ती के रूप में विकास और निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन ऐसे विकास का भार लिया जा सकेगा या किया जा सकेगा;

(iv) किसी स्थल पर भवन का निर्माण और भवन में या, के चारों तरफ रखे जाने वाले खुले स्थानों के सम्बन्ध में निर्बन्धन और शर्तें और भवन की ऊँचाई तथा प्रकृति;

(v) किसी स्थल के भवन का संरेखण;

(vi) किसी भवन के विस्तारण या अग्रभाग का वास्तुकलात्मक लक्षण किसी स्थल पर निर्माण किया जाएगा;

(vii) आवासीय भवनों की संख्या, जिनका निर्माण भूखण्ड या किसी स्थल पर किया जा सकेगा;

(viii) किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में ऐसे स्थल पर प्रदान की जाने वाली सुविधायें, चाहे भवन निर्माण के पहले हो या बाद में और व्यक्ति या प्राधिकरण, जिसकी द्वारा या जिसके व्यय पर ऐसी सुविधायें प्रदान की जानी हैं;

(ix) दुकानों, कार्यालयों, भण्डार गृहों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वास्तुकलात्मक लक्षण के भवनों या बस्ती में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अभिकल्पित भवन के सन्निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिषेध या निर्बन्धन;

(x) दीवारों, बाड़ों, झाड़ियों या किसी अन्य संरचनात्मक या वास्तुकलात्मक सन्निर्माण का रखरखाव और ऊँचाई, जिस पर उन्हें कायम रखा जाएगा;

(xi) भवनों के सन्निर्माण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये किसी स्थल के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन;

(xii) कोई अन्य मामला, जो नक्शे के अनुसार उत्तरी स्थल या किसी क्षेत्र के समुचित विकास के लिये और ऐसे अंचल या क्षेत्र में भवनों को अव्यवस्थित ढंग से निर्माण किये जाने को निवारित करने के लिये आवश्यक हो।

10. योजना को राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिये पेश करना—(1) इस धारा में और धारा 11, 12, 14 और 16 में "योजना" शब्द से महायोजना तथा अंचल के लिये आधारिक विकास योजना अभिप्रेत है।

(2) प्रत्येक योजना, यथाशक्य, उसकी तैयारी के बाद प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिये राज्य सरकार के समक्ष पेश की जायेगी और सरकार या तो उपान्तरण के बिना या ऐसे उपान्तरण के साथ, जैसा कि वह आवश्यक समझे, योजना को अनुमोदित कर सकेगी या प्राधिकरण को निर्देशों के साथ ऐसे निर्देशों के अनुसार नये सिरे से योजना तैयार करने के लिये योजना को नामंजूर कर सकेगी।

11. योजना की तैयारी और अनुमोदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—(1) किसी योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने और अनुमोदन के लिये उसे राज्य सरकार को पेश करने के पूर्व प्राधिकरण प्ररूप योजना तैयार करेगा और ऐसी तारीख के पूर्व, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्ररूप योजना के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए ऐसे प्ररूप और ढंग में, जैसा कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाय, नोटिस के प्रकाशन और निरीक्षण के लिये उपलब्ध उसकी प्रतिलिपि निर्मित करके उसे प्रकाशित करेगा।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को, जिसकी स्थानीय सीमा के अन्तर्गत योजना से सम्बन्धित भूमि स्थित है, योजना के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन करेगा।

(3) सभी आक्षेपों, सुझावों और प्रत्यावेदनों पर, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा, विचार करने के बाद, प्राधिकरण अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिये राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगा।

(4) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के अध्यधीन, राज्य सरकार प्राधिकरण को ऐसी सूचना देने का निर्देश दे सकेगा, जैसा कि वह सरकार इस धारा के अधीन उ..के समक्ष पेश की गयी किसी योजना के अनुमोदन के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे।

12. योजना के प्रारम्भ की तारीख—राज्य सरकार द्वारा योजना को अनुमोदित किये जाने के तत्काल बाद, प्राधिकरण ऐसे ढंग में, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, यह अधिकथित करते हुये कि योजना अनुमोदित की गयी है और स्थान को नामित करते हुए, जहाँ योजना की प्रतिलिपि का सभी युक्तियुक्त घंटों पर निरीक्षण किया जा सकेगा, नोटिस प्रकाशित करेगा और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख पर, योजना प्रवर्तित होगी।

[1][अध्याय III-क

विकास क्षेत्र में प्रमुख सड़कें

12-क. प्रमुख सड़क से संलग्न कतिपय भवनों के गृह मुख का रख-रखाव और सुधार—(1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में कोई भवन, जिसका अधिभोग पूर्णतया गैर आवासीय प्रयोजनों के लिये या अंशतः आवासीय और अंशतः गैर आवासीय प्रयोजनों के लिये किया जाता है, प्रमुख सड़क से संलग्न है, वहाँ ऐसे भवन का अधिभोगी इस निमित्त निर्मित किसी उप-विधि के अनुसार अपने व्यय पर ऐसे भवन के गृह मुख की मरम्मत, सफेदी, रंगाई करने के लिये बाध्य होगा।

(2) जहाँ प्राधिकरण, किसी रंग योजना या इस निमित्त निर्मित अन्य विनिर्देश के साथ प्रतिसाम्य को सुनिश्चित करने की दृष्टि में, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है या जहाँ कोई अधिभोगी उप-धारा (1) के अनुसार किसी भवन के गृहमुख की मरम्मत, सफेदी या रंगाई करने में असफल रहता है, वहाँ वह आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि उक्त कार्य स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके निर्देश के अधीन किया जाये और तदनुसार अधिभोगी से ऐसे कार्य का व्यय प्राधिकरण को भी भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा।

---

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य के व्यय की संगणना "लाभ निरपेक्ष, हानि निरपेक्ष" आधार पर की जायेगी और निक्षेप किये जाने के लिये अपेक्षित धनराशि की युक्तियुक्तता के बारे में किसी विवाद के मामले में, इसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और इसके अध्यधीन, प्राधिकरण का आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(4) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य के व्यय के सम्पूर्ण या भाग का अधिभोगी द्वारा भुगतान न करने के मामले में, वह, उपाध्यक्ष के प्रमाण-पत्र के आधार पर, अधिभोगी से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(क) पद "प्रमुख सड़क" का वही अर्थ होगा, जो उसे उपविधि में समनुदेशित किया गया है;

(ख) भवन के सम्बन्ध में, पद "अधिभोगी" से भवन का वास्तविक अधिभोगी या प्रयोगकर्ता व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें शामिल है—

(i) अधिभोगी स्वामी (जिस पद में अभिकर्ता या न्यासी या न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक, परिबद्धकर्ता या प्रबन्धक या भवन के कब्जे के साथ बन्धकदार शामिल होगा);

(ii) किरायेदार, जो स्वामी को उसके सम्बन्ध में किराये का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने के लिये दायी है;

(iii) किराया मुक्त प्रत्याभूति या उसका अनुज्ञप्तिधारी; तथा

(iv) व्यक्ति, जो उसके अप्राधिकृत प्रयोग या अधिभोग के लिये स्वामी को क्षति का भुगतान करने के लिये दायी है।]

अध्याय IV

महायोजना और आंचलिक विकास योजना का संशोधन

13. योजना का संशोधन—(1) प्राधिकरण महायोजना या आंचलिक विकास योजना में कोई संशोधन कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे, जो संशोधन उसकी राय में योजना की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन न करे और जो भूमि के प्रयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानक से सम्बन्धित न हो।

(2) राज्य सरकार महायोजना या आंचलिक विकास योजना में संशोधन कर सकेगी, चाहे ऐसी योजना उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की हो या अन्यथा।

(3) योजना में कोई संशोधन करने के पूर्व, प्राधिकरण, या यथास्थिति, राज्य सरकार विकास क्षेत्र में परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में ऐसी तारीख के पूर्व, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित करेगी और सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगी, जो प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये जायें।

(4) इस धारा के अधीन किया गया संशोधन ऐसे ढंग में प्रकाशित किया जाएगा, जैसा कि प्राधिकरण या राज्य सरकार, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट करे और संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन की तारीख पर या ऐसी अन्य तारीख पर, जैसा कि प्राधिकरण या राज्य सरकार, यथास्थिति, नियत करे, प्रवृत्त होगी।

(5) जब प्राधिकरण उप-धारा (1) के अधीन योजना में कोई संशोधन करता है, तब वह राज्य सरकार को उस तारीख के, जिसको ऐसा संशोधन प्रवर्तित हुआ था, तीस दिनों के भीतर ऐसे संशोधनों की पूर्ण विशिष्टियों की रिपोर्ट देगा।

(6) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्राधिकरण द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन ऐसा संशोधन है, जो योजना की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है या क्या वे भूमि प्रयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानक से सम्बन्धित है, तो इसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(7) अध्याय III के सिवाय, किसी अन्य अध्याय में महायोजना या आंचलिक विकास के किसी निर्देश का अर्थान्वयन महायोजना या आंचलिक विकास योजना के, जैसा कि इस धारा के अधीन संशोधित है, निर्देश के रूप में किया जाएगा।

अध्याय V

भूमि का विकास

14. विकास क्षेत्र में भूमि का विकास—(1) धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की घोषणा के बाद, उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति या निकाय (सरकार के विभाग को शामिल करके) द्वारा भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा या निष्पादित नहीं किया जाएगा या जारी नहीं रखा जाएगा, यदि ऐसे विकास के लिये अनुमति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार [1][उपाध्यक्ष] से लिखित में अभिप्राप्त नहीं की गयी है।

(2) किसी विकास क्षेत्र में योजनाओं में से किसी के प्रवृत्त होने के बाद, उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया जाएगा, निष्पादित नहीं किया जाएगा या जारी नहीं रखा जाएगा, यदि ऐसा विकास भी ऐसी योजना के अनुसार नहीं है।

(3) उप-धारा (1) या (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित प्रावधान किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि के विकास के सम्बन्ध में लागू होंगे—

(क) जब कोई ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकरण भूमि का विकास करने का आशय रखता है, तब वह ऐसे विकास को करने के कम से कम 30 दिन पूर्व उसकी पूर्ण विशिष्टियों को, जिसमें कोई योजना या दस्तावेज शामिल है, देते हुए ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना [2][उपाध्यक्ष] को देगा;

(ख) किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के मामले में यदि [3][उपाध्यक्ष] को कोई आक्षेप नहीं है, तो उसे ऐसे विभाग को खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा विभाग के आशय की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर उसकी सूचना देनी चाहिये और यदि [4][उपाध्यक्ष] उक्त अवधि के भीतर कोई आक्षेप नहीं करता, तो विभाग प्रस्तावित विकास को करने के लिये स्वतन्त्र होगा;

(ग) जहाँ [5][उपाध्यक्ष] प्रस्तावित विकास के प्रति इस आधार पर कोई आक्षेप करता है कि विकास उसके द्वारा तैयार किये गये या तैयार किये जाने के लिये आशयित किसी महायोजना या आंचलिक विकास योजना के अनुरूप नहीं है, या किसी अन्य आधार पर आक्षेप करता है, वहाँ ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति—

---

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(i) या तो [उपाध्यक्ष] द्वारा उठाये गये आक्षेप को निवारित करने के लिये विकास के प्रस्ताव में आवश्यक उपान्तरण करेगा; या

(ii) [1][उपाध्यक्ष] द्वारा उठाये गये आक्षेप के साथ विकास के लिये प्रस्ताव खण्ड (घ) के अधीन विनिश्चय के लिये राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(घ) राज्य सरकार, [उपाध्यक्ष] के आक्षेपों के साथ विकास के लिये प्रस्ताव प्राप्त करने पर, या तो उपान्तरण के साथ या बिना, प्रस्ताव को अनुमोदित कर सकेगी या विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण को, यथास्थिति, ऐसा उपान्तरण करने का निर्देश दे सकेगी, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया हो और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा;

(ङ) किसी ऐसे विभाग द्वारा या धारा 59 के प्रावधानों के अध्यधीन किसी ऐसे विकास प्राधिकरण द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के पूर्व प्रारम्भ किया गया किसी भूमि का विकास उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उप-धारा (1) और (2) की अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ पूरा किया जा सकेगा।

टिप्पणी

बहुमंजिली भवन की स्वीकृति—उपाध्यक्ष को बहुमंजिली भवन की योजना को स्वीकृत करने की शक्ति है। *गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद बनाम लज्जा राम।*[2]

15. अनुमति के लिये आवेदन—(1) धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति को अभिप्राप्त करने की वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या निकाय (सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अतिरिक्त) [3][उपाध्यक्ष] के समक्ष विकास के सम्बन्ध में, जिससे आवेदन सम्बन्धित है, ऐसे प्ररुप में ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुये लिखित में आवेदन करेगा, जैसा कि [4][उप-विधि] द्वारा विहित किया जाय।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसी फीस के साथ होगा, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाय।

[5][(2-क) प्राधिकरण विकास फीस, नामान्तरण प्रभार, ढेर फीस और जल फीस ऐसे ढंग में और ऐसी दर पर उद्गृहीत करने का हकदार होगा, जैसा कि विहित किया जाय :

परन्तु क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसका प्राधिकरण द्वारा विकास नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है, उद्गृहीत ढेर फीस का अन्तरण उस स्थानीय प्राधिकरण को किया जायेगा, जिसकी स्थानीय सीमा के अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र स्थित है।]

---

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. (2000) 2 एस०ए०सी० 203।
3. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 7(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 7(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अनुमति के लिये आवेदन की प्राप्ति पर [1][उपाध्यक्ष] धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ध) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में ऐसी जांच करने के बाद, जैसा कि वह आवश्यक समझे, लिखित में आदेश द्वारा या तो ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अध्यधीन जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुमति मन्जूर करेगा या ऐसी अनुमति मन्जूर करने से इन्कार करेगा :

परन्तु ऐसी अनुमति से इन्कार करने वाले आदेश को करने से पूर्व, आवेदक को कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा कि क्यों अनुमति से इन्कार नहीं किया जाना चाहिये :

परन्तु यह और कि [2][उपाध्यक्ष] ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुसंगत नियमावली या विनियमों के अनुरूप उसे लाने की दृष्टि से उसमें कोई शुद्धि करने या दस्तावेजों की कोई और विशिष्टियां प्रदान करने या अपेक्षित फीस की किसी कमी को पूरा करने के लिये अवसर देगा :

[3][परन्तु यह भी कि धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति को मन्जूर करने के पूर्व, उपाध्यक्ष उप-धारा (2-क) के अधीन उद्ग्रहीत फीस और प्रभार का निक्षेप करा सकेगा।]

(4) जहां अनुमति नामंजूर की जाती है, वहाँ ऐसी नामंजूरी का आधार लेखबद्ध किया जाएगा और आवेदक को संसूचित किया जायेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन आदेश द्वारा क्षुब्ध कोई व्यक्ति उसकी संसूचना से तीस दिनों के भीतर आदेश के विरुद्ध [4][अध्यक्ष] के समक्ष अपील कर सकेगा और अपीलार्थी को तथा यदि आवश्यक हो तो, [5][उपाध्यक्ष] के प्रतिनिधियों को भी सुनवाई का अवसर देने के बाद या तो अपील को निरस्त कर सकेगा या [6][अध्यक्ष] की अनुमति को, जिसके लिये आवेदन किया गया है, ऐसे अपान्तरणों के साथ या ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अध्यधीन मंजूर करने का निर्देश दे सकेगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये।

(6) [7][उपाध्यक्ष] ऐसे प्ररुप में, जैसा कि विनियम द्वारा विहित किया जाये, इस धारा के अधीन अनुमति के लिये आवेदनों का रजिस्टर रखेगा।

(7) प्रत्येक रजिस्टर में ऐसी विशिष्टियाँ, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय, अन्तर्विष्ट होगी, जिसमें ऐसे ढंग के सम्बन्ध में, जिसमें अनुमति के आवेदन पर विचार किया गया है, सूचना शामिल होगी और पांच रुपये से अनधिक ऐसी फीस के, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाये, भुगतान पर सभी युक्तियुक्त समयों पर सामान्य जनता के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा।

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 7(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 7(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 7(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 7(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 7(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 7(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

(8) जहाँ इस धारा के अधीन अनुमति नामंजूर की जाती है, वहाँ आवेदक या उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति अनुमति के लिये आवेदन पर भुगतान की फीस को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा किन्तु [1][उपाध्यक्ष] उप-धारा (4) के अधीन नामंजूरी के आधारों की संसूचना के तीन मास के अन्तर्गत किये गये वापसी के आवेदन पर, फीस के ऐसे भाग की वापसी का निर्देश दे सकेगा, जैसा कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

[2][(9) यदि उप-धारा (3) के अधीन अनुमति को मंजूर किये जाने के बाद किसी समय उपाध्यक्ष को समाधान हो जाता है कि ऐसी अनुमति किये गये किसी तात्विक दुर्व्यपदेशन या दिये गये किसी कपटपूर्ण कथन या सूचना के परिणामस्वरूप मंजूर की गयी थी, तो वह लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी अनुमति रद्द कर सकेगा और उसके अधीन किया गया कोई कार्य ऐसी अनुमति के बिना किया गया माना जाएगा :

परन्तु अनुमति सम्बद्ध व्यक्ति या निकाय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना रद्द नहीं किया जायेगा।]

टिप्पणी

विकास फीस—विकास प्राधिकरण द्वारा विकास फीस तब उद्गृहीत किया जा सकता है, जब विकास क्षेत्र में सड़क, जल निकास, मल निकास, विद्युत आपूर्ति के सन्निर्माण द्वारा विकास किया जाता है। *गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद बनाम लजवंत राम।*[3]

अनुमति प्रदान करने की शक्ति—भवन सन्निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति उपाध्यक्ष में निहित है। *विनोद कुमार भालोटिया बनाम राज्य सरकार उ०प्र० एवं अन्य।*[4]

[5][**15-क. पूर्णता प्रमाण-पत्र**—(1) प्रत्येक व्यक्ति या निकाय, जिसको धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुमति मंजूर की गयी है, अनुमोदित योजना के अनुसार विकास पूरा करेगा और ऐसे पूरा करने की लिखित सूचना प्राधिकरण को भेजेगा और प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र ऐसे ढंग से प्राप्त करेगा, जैसा कि प्राधिकरण की उप-विधि में विहित या उपबन्धित है :

परन्तु यदि पूर्णता प्रमाण-पत्र मंजूर नहीं किया जाता है और उसे मंजूर करने की इन्कारी की सूचना पूरा होने की नोटिस की प्राप्ति के बाद तीन मास के भीतर नहीं दी जाती, तो यह माना जाएगा कि पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया गया है।

(2) कोई व्यक्ति किसी कार्य द्वारा प्रभावित होकर किसी वाणिज्यिक भवन का अधिभोग नहीं करेगा या उसे अधिभोग किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या ऐसे भवन या उसके भाग का प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक—

(क) पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया गया है, या

(ख) प्राधिकरण पूर्णता की नोटिस की प्राप्ति के बाद तीन माह तक उक्त प्रमाण-पत्र की स्वीकृति की उसकी नामंजूरी की सूचना देने में असफल नहीं रहा है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, पद "वाणिज्यिक भवन" का वही अर्थ होगा, जो उसे उत्तर प्रदेश नगर निगम, 1959 में समनुदेशित किया गया है।]

---

1. 1973 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 7(ii) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. (2000) 2 एस०ए०सी० 203।
4. (2000) 1 एस०ए०सी० 209।
5. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

16. योजना के उल्लंघन में भूमि और भवन का प्रयोग—अंचल में योजनाओं में से किसी के प्रवृत्त होने के बाद, कोई व्यक्ति ऐसी योजना के अनुरूप के अन्यथा उस अंचल में किसी भूमि या भवन का प्रयोग नहीं करेगा या उसे प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

परन्तु ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा कि इस निमित्त उप-विधि द्वारा विहित किए जाये, किसी भूमि और भवन का उस प्रयोजन के लिए और उस सीमा तक प्रयोग करना विधिपूर्ण होगा, जिसके लिए और जिस सीमा तक उसका प्रयोग उस तारीख को किया जा रहा है, जिसको ऐसी योजना प्रवृत्त होती है।

अध्याय VI

भूमि का अर्जन और निस्तारण

17. **भूमि का अनिवार्य अर्जन**—(1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी भूमि की अपेक्षा इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए की जाती है, तो राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अधीन ऐसी भूमि अर्जित कर सकेगी :

परन्तु कोई व्यक्ति, जिससे कोई भूमि इस प्रकार अर्जित की जाती है, ऐसे अर्जन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के पर्यवसान के बाद राज्य सरकार के समक्ष उसको इस आधार पर उस भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा, कि भूमि का उपयोग उक्त अवधि के अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए उसे अर्जित किया गया था और यदि राज्य सरकार को इस प्रभाव का समाधान हो जाता है, तो वह 12 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज और ऐसे विकास प्रभारों, यदि कोई हो, के साथ, जो अर्जन के बाद उपगत किया गया हो, प्रभारों के, जो अर्जन के सम्बन्ध में उपगत किए गये थे, पुनर्भुगतान पर उसको भूमि के प्रत्यावर्तन का आदेश देगी।

(2) जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गयी है, वहाँ वह सरकार भूमि का कब्जा ग्रहण करने के बाद, प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्रधिकरण को उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए भूमि अर्जित की गयी है, प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर के और अर्जन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उपगत प्रभार के भुगतान पर भूमि को अन्तरित कर सकेगी।

18. सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि का निस्तारण—(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गये किसी निर्देश के अध्यधीन, सम्बद्ध प्राधिकरण या, यथास्थिति स्थानीय प्राधिकरण—

(क) किसी भूमि का, जो राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गयी थी या उसको अन्तरित की गयी थी, उस पर किसी विकास कार्य को किए बिना या निष्पादित किए बिना; या

(ख) ऐसे विकास को, जैसा कि वह ठीक समझे, करने या निष्पादित करने के बाद किसी ऐसी भूमि का,

निस्तारण ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ढंग में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन कर सकेगा, जैसा कि वह योजना के अनुसार विकास क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का अर्थान्वयन सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को दान, [1][* * *] द्वारा भूमि का निस्तारण करने के लिए समर्थ बनाने के रूप में नहीं किया जाएगा, किन्तु इसके अध्यधीन इस अधिनियम में भूमि के निस्तारण के निर्देश का अर्थान्वयन किसी ढंग में उसके निस्तारण के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा, चाहे विक्रय, विनिमय या पट्टे द्वारा हो या किसी सुखाधिकार, अधिकार या विशेषाधिकार के सृजन द्वारा हो या अन्यथा।

[2][(3) उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास और नगरीय विकास निगम, या बैंककार कम्पनी, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक धन (बकायों की वसूली) अधिनियम, 1972 में परिभाषित है, या किसी अन्य वित्तीय संस्थान, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित हो, के पक्ष में ऐसी भूमि (उस पर किसी भवन को शामिल करके) पर बन्धक या प्रभार सृजित कर सकेगा।]

[3][(4) जहाँ इस धारा के अधीन खाली भूमि का निस्तारण नियत समय के अन्तर्गत सन्निर्माण करने के लिए ऐसे समय के अन्तर्गत सन्निर्माण करने की असफलता पर पट्टे के समपहरण और पुनः प्रवेश के अधिकार के साथ पट्टे द्वारा किया गया है और पट्टेदार नियत समय या ऐसे विस्तारित समय, जैसा कि पट्टाकर्ता स्वीकृत करे, सन्निर्माण या उसके सारभूत भाग का निर्माण करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, वहाँ पट्टाकर्ता [4][उप-धारा (4-क) के प्रावधानों के अध्यधीन] पट्टे का समपहरण कर सकेगा और भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु कोई समहरण या पुनः प्रवेश नहीं किया जायेगा, जब तक पट्टेदार को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है।

[5][(4-क) जहाँ पट्टेदार उप-धारा (4) के अधीन नियत समय और विस्तारित समय, यदि कोई हो, के अन्तर्गत सन्निर्माण करने में असफल रहता है, जिससे पट्टे की तारीख से कुल अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो जाती है, वहाँ सम्बद्ध भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर प्रभार की वसूली प्रत्येक वर्ष पट्टाकर्ता द्वारा उससे की जायेगी और यदि उक्त प्रभार के अधिरोपण की तारीख से पाँच वर्ष की पुनः अवधि व्यपगत होती है, तो पट्टे का समपहरण किया जाएगा और पट्टाकर्ता पुनः भूमि पर प्रवेश करेगा :

परन्तु जहाँ पाँच वर्ष की अवधि का पर्यवसान उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ पर हुआ है या जहाँ पाँच वर्ष की अवधि का पर्यवसान ऐसे प्रारम्भ के बाद एक वर्ष के भीतर होता है, वहाँ प्रभार ऐसे प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद वसूलनीय होगा।

(5) ऐसे समपहरण और पुनः प्रवेश पर, ऐसी भूमि के लिए पट्टेदार द्वारा संदत्त प्रीमियम को किसी ब्याज के बिना—

(क) उस पट्टे के अधीन पट्टाकर्ता के बकाया धनराशि की, यदि कोई हो; और

---

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 5(i) द्वारा लोप किया गया।
2. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 5(ii) द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1985 के उ०प्र० अधिनियम 21 की धारा 5 द्वारा (22.10.1984 से) अन्तःस्थापित।
4. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ख) प्रशासनिक व्यय के लिए प्रीमियम के 5 प्रतिशत के समान राशि की, कटौती के बाद वापस किया जायेगा।

(6) उप-धारा (4) के अधीन आदेश द्वारा क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उसके ज्ञान की तारीख से तीस दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(7) पट्टे के समपहरण के बाद भूमि का, जिस पर इस प्रकार पुनः प्रविष्ट किया गया है, निस्तारण उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।]

19. नजूल भूमि—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जैसा कि सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विकास के प्रयोजन के लिए राज्य में निहित विकास क्षेत्र में सभी या किसी विकसित और अविकसित भूमि (जो नजूल भूमि के रूप में ज्ञात है और एतस्मिन पश्चात् निर्दिष्ट है) प्राधिकरण के निस्तारण पर रख सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी नजूल भूमि को प्राधिकरण के निस्तारण पर रखे जाने के बाद किसी ऐसी भूमि का विकास प्राधिकरण द्वारा या के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय नहीं किया जाएगा या निष्पादित नहीं किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा या के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन किसी ऐसी नजूल भूमि का विकास किए जाने के बाद, उसको प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गये निर्देशों के अनुसार संव्यवहृत किया जायेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण के निस्तारण पर रखी गयी किसी नजूल भूमि की अपेक्षा उसके बाद किसी समय राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसे ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा कि उस सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति हो, उस सरकार के निस्तारण पर उसे रखेगा।

अध्याय VII

वित्त, लेखा और लेखा सम्परीक्षा

20. प्राधिकरण का कोष—(1) प्राधिकरण का अपना कोष होगा, और वह इसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें जमा किया जाएगा—

(क) सभी धन, जो प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम द्वारा या अन्यथा प्राप्त किया गया हो;

(ख) सभी धन, जो प्राधिकरण द्वारा ऋण या ऋण पत्र द्वारा राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से उधार लिया गया हो;

(ग) सभी [1][फीस, पथकर, और प्रभार], जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किया गया हो;

(घ) सभी धन, जो प्राधिकरण द्वारा भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति, जंगम और स्थावर के व्ययन द्वारा प्राप्त किया गया हो, और

(ङ) सभी धन, जो प्राधिकरण द्वारा किराया और लाभ द्वारा या किसी अन्य ढंग में या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त किया गया हो।

---

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 48 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) कोष का उपायोजन इस अधिनियम के प्रशासन में प्राधिकरण द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिये किया जाएगा, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिये।

(3) राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन, प्राधिकरण किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाता में अपने कोष में से ऐसी धनराशि रख सकेगा, जिसे वह प्रत्याशित वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक समझे और किसी अधिशेष धन को ऐसे ढंग में विनियोग करेगा, जैसा कि वह ठीक समझे।

(4) राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गये सम्यक विनियोग के बाद, प्राधिकरण को ऐसा अनुदान, अग्रिम और ऋण प्रदान कर सकेगी, जैसा कि वह सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे और किया गया सभी अनुदान, ऋण और अग्रिम ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर होगा, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे।

(5) प्राधिकरण ऐसे स्रोतों (राज्य सरकार के अतिरिक्त) से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, ऋण या ऋण-पत्र द्वारा उधार ले सकेगा।

(6) प्राधिकरण उप-धारा (5) के अधीन उधार लिए गये धन के पुनर्भुगतान के लिए शोधन निधि रखेगा और प्रतिवर्ष शोधन निधि में ऐसी राशि का भुगतान करेगा, जो इस प्रकार उधार लिए गये सभी धनों के नियत अवधि के भीतर पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त हो।

(7) इस शोधन निधि या उसके किसी भाग का उपयोग उस ऋण की अवमुक्ति में या के लिए किया जायेगा, जिसके लिए ऐसी निधि सृजित की गयी थी, और जब तक ऐसे ऋण का पूर्ण रूप से उन्मोचन नहीं किया जाता, तब तक इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

21. प्राधिकरण का आय-व्यय लेखा—प्राधिकरण प्रतिवर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्ति और व्यय को दर्शित करते हुए आगामी अगले वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आय-व्यय लेखा तैयार करेगा।

[1][**22. लेखा और लेखा सम्परीक्षा**—(1) प्राधिकरण समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और तुलन-पत्र को शामिल करके लेखा का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्राधिकरण का लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा वार्षिक रूप से लेखा सम्परीक्षा के अध्यधीन होगा :

परन्तु परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के बदले में या अतिरिक्त राज्य सरकार लेखा सम्परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा परीक्षक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर ऐसे ढंग में ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समयों पर न्यस्त कर सकेगी, जैसा कि उसके और राज्य सरकार के बीच सहमति हो।

(3) उप-धारा (2) के अधीन लेखा परीक्षा करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार—

---

1. 1983 के उ०प्र० अधिनियम 28 द्वारा (6.10.1982 से) प्रतिस्थापित।

(i) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में वही होगा, जैसा कि उसको स्थानीय प्राधिकरण के लेखा सम्परीक्षा के सम्बन्ध में है;

(ii) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या, यथास्थिति, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के मामले में वही होगा, जैसा कि उसको सरकारी लेखा के लेखा सम्परीक्षा के सम्बन्ध में है; और

(iii) किसी अन्य लेखा सम्परीक्षक के मामले में, ऐसा होगा, जैसा कि विहित किया जाय, और विशिष्ट रूप से उसे बहियों, लेखाओं, सम्बन्धित बाउचरों, कागजातों और अन्य दस्तावेजों को पेश करने की माँग करने और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकारी होगा।

(4) प्राधिकरण का लेखा, जैसा कि लेखा सम्परीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गये किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हो, उस पर लेखा सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से और ऐसे समयों पर, जैसा कि उसके द्वारा निर्देश दिया जाय, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाएगा। राज्य सरकार प्राधिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसा कि वह ठीक समझे और प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(5) लेखा सम्परीक्षा के सम्बन्ध में लेखा सम्परीक्षक द्वारा उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा लेखा संपरीक्षक को देय होगा।]

23. वार्षिक रिपोर्ट—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख को या के पहले पेश करेगा, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और ऐसी रिपोर्ट विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

24. पेंशन और भविष्य निधि—(1) प्राधिकरण अपने पूर्णकालिक वेतन भोगी सदस्यों और अपने अधिकारियों के लाभ के लिए ऐसे ढंग में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, ऐसी पेंशन या भविष्यनिधि गठित करेगा, जैसा कि वह ठीक समझे।

(2) जहाँ कोई ऐसी पेंशन या भविष्य निधि गठित की गई है, वहाँ राज्य सरकार घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के प्रावधान ऐसी निधि को लागू होंगे, मानो यह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय VIII

अनुपूरक और प्रकीर्ण उपबन्ध

25. प्रवेश की शक्ति—प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में या पर—

(क) ऐसी भूमि या भवन की जाँच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करने या स्तर लेने;

(ख) सन्निर्माण के अधीन कार्य की परीक्षा करने और मल निकासी तथा जल निकासी के मार्ग को सुनिश्चित करने;

(ग) खुदायी करने या उप-भूमि में बेधन करने;

(घ) सीमा और आशयित कार्य के अनुक्रम को उपवर्णित करने;

(ङ) चिन्हों को लगाकर और खाइयों को काटकर ऐसे स्तर, सीमाओं और रेखाओं को अंकित करने,

(च) यह सुनिश्चित करने, कि क्या किसी भूमि का महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति के बिना या किसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अध्यधीन ऐसी अनुमति प्रदान की गयी है, विकास किया जा रहा है; या

(छ) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक किसी अन्य बात को करने के प्रयोजन के लिए कर्मकारों की सहायता से या के बिना प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु—

(i) कोई ऐसा प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के सिवाय और अधिभोगी को युक्ति-युक्त नोटिस दिये बिना या यदि अधिभोगी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को युक्ति-युक्त नोटिस दिए बिना नहीं किया जाएगा;

(ii) प्रत्येक मामले में पर्याप्त अवसर ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को बाहर निकलने के लिए समर्थ बनाने के लिए दिया जाएगा;

(iii) प्रवेश की गयी भूमि या भवन के अधिभोगियों के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं पर सदैव सम्यक ध्यान दिया जाएगा, जहाँ तक वह इस प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं के लिए संगत हो, जिसके लिए प्रवेश किया जाता है।

26. शास्ति—(1) कोई व्यक्ति, जो चाहे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या किसी निकाय (सरकार के विभाग को शामिल करके) के निर्देश पर, किसी भूमि का विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति के बिना या किसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अध्यधीन ऐसी अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान की गयी है, करता है या निष्पादित करता है, जुर्माने से जो [1][पचास हजार रुपये] तक हो सकेगा और निरन्तर अपराध के मामले में प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध प्रथम अपराध कारित करने के लिए दोष सिद्धि के बाद जारी रखता है [2][दो हजार पाँच सौ रुपये] तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का प्रयोग धारा 16 के प्रावधानों के उल्लंघन में या इस धारा के परन्तुक के अधीन विनियमों द्वारा विहित किन्हीं निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन में करता है, जुर्माने से, जो [3][पचीस हजार रुपये] तक हो सकेगा और निरन्तर अपराध के मामले में पुनः जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध प्रथम अपराध को कारित करने के लिए दोष सिद्धि के बाद जारी रहता है, [4][एक हजार दो सौ पचास रुपये] तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश में व्यवधान करता है या ऐसे प्रवेश के बाद ऐसे व्यक्ति को परेशान करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 6 द्वारा "दस हजार रुपये" के लिए प्रतिस्थापित।
1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 6 द्वारा "पाँच सौ रुपये" के लिए प्रतिस्थापित।
1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 6 द्वारा "पाँच हजार रुपये" के लिए प्रतिस्थापित।
1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 6 द्वारा "दो सौ पचास रुपये" के लिए प्रतिस्थापित।

[1][26-क. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवरोध—(1) जो कोई किसी सार्वजनिक सड़क में नाली पर कार्यवाही के सिवाय विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि प्राधिकरण से सम्बन्धित है या नहीं, या में निहित है या नहीं, वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

(3) जो कोई किसी सार्वजनिक सड़क में नाली पर कार्यवाही या सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर ढेर फीस के भुगतान पर ऐसी अवधि के दौरान, जैसा कि अनुमति दी जाय, भवन सामग्री के रखने के सिवाय विकास क्षेत्र में किसी सड़क या भूमि में, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी सड़क या भूमि प्राधिकरण से सम्बन्धित है या नहीं, या प्राधिकरण में निहित है या नहीं, वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो एक मास तक हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) यदि यह विश्वास करने का आधार है कि व्यक्ति ने विकास क्षेत्र में, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, कोई अतिचार या व्यवधान किया है, तो प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अतिचार या अवरोध करने वाले व्यक्ति पर उससे यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकेगा कि क्यों उससे पन्द्रह दिनों से अन्यून ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, अतिचार या अवरोध को हटाने की अपेक्षा न की जाय और ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शित कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसे अतिचार या अवरोध को हटाने का आदेश दे सकेगा :

परन्तु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ की तारीख को या के पूर्व कमजोर वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिचार तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे ऐसे ढंग में और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाय, पुनर्वास करने के लिये वैकल्पिक भूमि या आवास प्रदान नहीं किया जाता।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, पद—

(1) 'कमजोर वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है—

(क) जिसका परिवार उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ की तारीख पर किसी शहर में, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम, 1959 द्वारा परिभाषित है या किसी नगर पालिका क्षेत्र में, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में परिभाषित है, कोई स्थावर सम्पत्ति धारण नहीं करता, और

---

1. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 7 द्वारा 26-क से 26-घ अन्तःस्थापित।

(ख) जिसकी आजीविका का प्रमुख स्त्रोत या तो स्वयं द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक श्रम है, जिसमें किसी दस्तकारी की प्रथा शामिल है, और इसमें रिक्शा चालक या सफाईकर्मी शामिल हैं, किन्तु ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है, जिसका निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1998 के अधीन व्यापार कर या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन विक्रय कर के लिये किया गया है।

(2) कमजोर वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति के सम्बन्ध में 'परिवार' से पति या पत्नी, यथास्थिति, और अविवाहित अवयस्क बच्चे या इनमें से दोनों अभिप्रेत है।

(5) पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, कार्यवाही, जैसा कि इस धारा में उपबन्धित है, के अतिरिक्त, इस धारा में निर्दिष्ट भूमि पर पायी गयी किसी सम्पत्ति या यथास्थिति, ऐसी भूमि से संलग्न या ऐसी भूमि से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से आबद्ध सम्पत्ति को अभिगृहीत या कुर्क करने की शक्ति होगी।

(6) जहाँ कोई सम्पत्ति प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहाँ वह तत्काल ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की सूचना प्राधिकरण को देगा।

(7) प्राधिकरण समपहरण कार्यवाही के निष्कर्ष के लम्बित रहने के दौरान अभिगृहीत या कुर्क की गयी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिये ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझता है और यदि सम्पत्ति त्वरित या स्वाभाविक क्षय के अध्यधीन है, या ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो प्राधिकरण विक्रय किये जाने या अन्यथा व्ययन किये जाने का आदेश दे सकेगा।

(8) जहाँ किसी सम्पत्ति का विक्रय पूर्वोक्त रूप में किया जाता है, वहाँ विक्रय आगम, का ऐसे विक्रय के व्यय, यदि कोई हो, और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक व्यय की कटौती करने के बाद, भुगतान उसके स्वामी या व्यक्ति को, जिससे उसे अभिगृहीत या कुर्क किया जाता है, किया जायेगा—

(क) जहाँ समपहरण का कोई आदेश अन्ततोगत्वा प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किया जाता; या

(ख) जहाँ अपील में पारित आदेश ऐसी अपेक्षा करता है।

(9) जहाँ किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की उप-धारा (5) के अधीन की जाती है, वहाँ प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के समपहरण का आदेश दे सकेगा।

(10) किसी सम्पत्ति के समपहरण का कोई आदेश उप-धारा (9) के अधीन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या व्यक्ति को, जिससे उसे अभिगृहीत या कुर्क किया जाता है—

(क) लिखित में उसे उन आधारों की, जिन पर सम्पत्ति का समपहरण करने की प्रस्थापना की जाती है, सूचना देते हुए नोटिस,

(ख) समपहरण के आधारों के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, के भीतर प्रत्यावेदन करने का अवसर; और

(ग) मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर, नहीं प्रदान किया जाता।

(11) इस धारा के अधीन समपहरण का कोई आदेश किसी दण्ड को, जिसके लिये उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति अधिनियम के अधीन दायी हो सकेगा, देने से निवारित नहीं करेगा।

(12) उप-धारा (9) के अधीन किये गये आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उसको ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष उसके विरुद्ध अपील कर सकेगा।

(13) ऐसी अपील पर, जिला न्यायाधीश अपीलार्थी और प्रत्युत्तरदाता को सुनवाई का अवसर देने के बाद आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, अभिपुष्टि, उपान्तरण या अपास्त करते हुये ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे और अपील लम्बित रहते हुए ऐसे आदेश के प्रवर्तन को ऐसे निबन्धनों पर, यदि कोई हो, स्थगित कर सकेगा, जैसा कि वह ठीक समझे।

26-ख. धारा 26-क के अधीन हटाने के लिये प्रतिकर के लिये दावा—(1) धारा 26-क की उप-धारा (4) के अधीन अवरोध या अतिचार हटाने द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे हटाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर या तो प्राधिकरण या हटाने का आदेश देने वाले अधिकारी के विरुद्ध या दोनों के विरुद्ध प्रतिकर या पुनः स्थापन के लिये और ऐसे अधिकारी को ऐसे हटाने के कारण उसको कारित क्षति के लिये व्यक्तिगत रूप से दायी बनाने के लिये दावा दाखिल कर सकेगा।

(2) क्षेत्र पर जिसमें अतिचार या अवरोध को हटाया गया है, जैसा कि धारा 26 की उप-धारा (4) में उपबन्धित है, क्षेत्रीय अधिकारिता धारण करने वाला जिला न्यायाधीश इस धारा के प्रयोजनों के लिये अधिकरण होगा।

(3) किसी प्रतिकर के भुगतान के लिये या किसी स्थावर सम्पत्ति के पुनः स्थापन के लिये अधिकरण प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री होना माना जायेगा और इस प्रकार निष्पाद्य होगा :

परन्तु यदि अधिकरण व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रतिकर अभिनिर्णीत करता है, तो प्राधिकरण का सम्बद्ध अधिकारी के वेतन या अन्य बकायों से धनराशि वसूलना और उसे दावेदार को भुगतान करना कर्तव्य होगा।

(4) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही होनी मानी जायेगी।

(5) अधिकरण को इस धारा के अधीन दावे का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये वही शक्तियाँ होंगी, जैसा कि वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति प्रवर्तित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) शपथ-पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(ग) किसी स्थावर सम्पत्ति या उसके स्थानीय क्षेत्र का निरीक्षण करना, साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण के लिये कमीशन जारी करना;

(घ) दस्तावेजों के प्रकटन और पेश करने की अपेक्षा करना,

(ङ) विधिपूर्ण करार, समझौता और समाधान को अभिलिखित करना और उसके अनुसार आदेश करना, और

(च) कोई अन्य मामला, जिसे विहित किया जाय।

(6) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

26-ग. प्राधिकरण अधिनियम के उल्लंघन में निर्मित या निक्षिप्त किसी चीज को नोटिस के बिना हटा सकेगा—प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नोटिस के बिना—

(क) किसी दीवार, घेरा, बाड़ा, स्तम्भ, सीढ़ी, छप्पर, या अन्य संरचना को, चाहे स्थिर हो या जंगम और चाहे स्थायी प्रकृति का हो या अस्थायी या कोई स्थिरक, जिसका इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल, किसी सड़क में या पर या ऊपर या किसी खुली नहर, जल निकास, कुआं या तालाब पर सन्निर्माण किया जायेगा या स्थापित किया जायेगा;

(ख) किसी दुकान, कुर्सी, बेन्च, सन्दूक, गट्ठा, तख्ता, या आलमारी या किसी अन्य चीज को, जो कोई इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी स्थान में रखा गया हो, पर निक्षेप किया गया हो, के रूप में पेश किया गया हो, से संलग्न किया गया हो या लटकाया गया हो, हटवा सकेगा।

26-घ. अतिचार को निवारित न करने के लिये शास्ति—जो कोई, जिसको विशेष रूप से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियमावली या उप-विधि के अधीन अतिचार या अवरोध को रोकने या निवारित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, ऐसे अतिचार या अवरोध को निवारित करने का जानबूझकर और जानते हुये उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, वह ऐसी अवधि के, जो एक मास तक हो सकेगा, साधारण कारावास से या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।]

27. भवन गिराने का आदेश—(1) जहाँ विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति के बिना या किन्हीं शर्तों के, जिनके अध्यधीन ऐसी अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान की गयी है, उल्लंघन में किया गया है या किया जा रहा है या पूरा किया गया है, वहाँ धारा 26 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [1][उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त प्राधिकरण का अधिकारी] यह निर्देश देते हुये आदेश कर सकेगा कि ऐसा विकास उसके स्वामी द्वारा या व्यक्ति द्वारा, जिसके निर्देश पर विकास किया गया है या किया जा रहा है या पूरा किया गया है, उस तारीख से, जिसको हटाने के आदेश की प्रतिलिपि, उसके लिये कारणों के संक्षिप्त कथन के साथ, स्वामी या उस व्यक्ति को प्रदान की गयी है, ऐसी अवधि के भीतर, जो पन्द्रह दिनों से न्यून और चालीस दिनों से अधिक न हो, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, ध्वस्तीकरण, गिराने द्वारा या अन्यथा हटाया जायेगा और आदेश का अनुपालन करने की उसकी असफलता पर [2][उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी] विकास को हटा सकेगा या हटवा सकेगा और ऐसे हटाने का व्यय, जैसा [3][उपाध्यक्ष या ऐसे अधिकारी] द्वारा प्रमाणित किया जाय, स्वामी या व्यक्ति से, जिसके निर्देश पर विकास प्रारम्भ किया गया था या किया जा रहा था या पूरा किया गया था, भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा और ऐसे व्यय की वसूली के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं होगा :

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 8(क)(i) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 8(क)(ii) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 8(क)(ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु कोई ऐसा आदेश नहीं किया जायेगा, जब तक स्वामी या सम्बद्ध व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है कि क्यों ऐसा आदेश नहीं किया जाना चाहिये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उसकी तारीख से तीस दिनों के भीतर उस आदेश के विरुद्ध [1][अध्यक्ष] के समक्ष अपील कर सकेगा और [2][अध्यक्ष] अपील के पक्षकारों को सुनने के बाद या तो अपील अनुज्ञात कर सकेगा या निरस्त कर सकेगा या आदेश के किसी भाग को उलट सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा।

(3) [3][अध्यक्ष] आदेश के निष्पादन को स्थगित कर सकेगा, जिसके विरुद्ध उप-धारा (2) के अधीन उसके समक्ष अपील दाखिल की गयी है।

(4) अपील पर [4][अध्यक्ष] का विनिश्चय और केवल ऐसे विनिश्चय के अध्यधीन, उप-धारा (1) के अधीन आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(5) इस धारा के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट भवन को ध्वस्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य प्रावधान के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

[5][* * *]

टिप्पणी

अपील की पोषणीयता—धारा 14 के अधीन उपाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध अपील धारा 27 के अधीन पोषणीय है। *महेन्द्र नारायण सिंह एवं एक अन्य बनाम वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं अन्य।*[6]

28. विकास को रोकने की शक्ति—(1) जहाँ विकास क्षेत्र में कोई विकास महायोजना या आंचलिक योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति के बिना या किसी शर्त के, जिसके अध्यधीन ऐसी अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान की गयी है, उल्लंघन में प्रारम्भ किया गया है या जारी रखा गया है, वहाँ धारा 26 और 27 के प्रावधानों के प्रतिकूल हुये बिना, प्राधिकरण या अध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी आदेश की तामीली की तारीख को और से विकास को रोके जाने की अपेक्षा करते हुये आदेश कर सकेगा और ऐसे आदेश का तदनुसार अनुपालन किया जायेगा।

(2) जहाँ ऐसे विकास को उप-धारा (1) के अधीन आदेश के अनुसरण में नहीं रोका जाता, वहाँ प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या उक्त अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी से ऐसे समय के भीतर, जैसा कि अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाय, व्यक्ति, जिसके द्वारा विकास प्रारम्भ किया गया है, और उसके सभी सहायकों और कर्मचारियों को हटाने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा पुलिस अधिकारी तदनुसार अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 8(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 8(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 8(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 8(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 8(ग) द्वारा लोप किया गया।
6. (2003) 1 एस०ए०सी० 91।

(3) उप-धारा (2) के अधीन अध्यपेक्षा का अनुपालन किये जाने के बाद, प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा पुलिस अधिकारी या प्राधिकरण के अधिकारी या कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने के लिये, कि विकास को जारी नहीं रखा जाता, स्थल की निगरानी करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने वाला व्यक्ति प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान अननुपालन आदेश की तामीली के बाद जारी रहता है, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा।

(5) किसी व्यक्ति द्वारा किसी क्षति के लिये, जो उसे धारा 27 के अधीन किसी विकास को हटाने या इस धारा के अधीन विकास को रोकने के परिणामस्वरूप हो सकेगी, कोई प्रतिकर दावा योग्य नहीं होगा।

(6) इस धारा के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट नगर संक्रिया को रोकने से सम्बन्धित किसी अन्य प्रावधान के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

[1][28-क. अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति—(1) उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त किये गये अधिकारी के लिये, यथास्थिति, धारा 27 या धारा 28 के अधीन किसी विकास को हटाने या रोकने के लिये आदेश करने के पूर्व या बाद किसी समय इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिये ऐसे ढंग में, जैसा कि विहित किया जाय, विकास क्षेत्र में ऐसे विकास को सील करने का निर्देश देते हुये कोई आदेश करना विधिपूर्ण होगा।

(2) जहाँ कोई विकास सील किया गया है, वहाँ उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त किया गया अधिकारी, यथास्थिति, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिये सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति ऐसी सील उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त किये गये अधिकारी द्वारा उप-धारा (2) के अधीन किये गये आदेश के अधीन के सिवाय नहीं हटायेगा।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किये गये आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध उसकी तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों को सुनने के बाद या तो अपील को अनुज्ञात कर सकेगा या निरस्त कर सकेगा।

(5) अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।]

29. प्राधिकरण को अन्य शक्ति प्रदान करना—धारा 12 के अधीन महायोजना या आंचलिक योजना के प्रवर्तित होने के बाद, विकास प्राधिकरण या उसके उपाध्यक्ष को सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण या उसके मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा उस स्थानीय प्राधिकरण को गठित करने वाली अधिनियमिति के अधीन प्रयोग योग्य ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे अपवादों या उपान्तरणों के अध्यधीन होंगी, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

30. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति कम्पनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित किये जाने के समय कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिये कम्पनी का भारसाधक था, तथा कम्पनी अपराध का दोषी होना माने जायेंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने के लिये दायी होंगे :

---

1. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 8 द्वारा अन्तःस्थापित।

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड के लिये दायी नहीं बनायेगा और यदि वह साबित करता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना कारित किया गया था या उसने ऐसे अपराध को कारित करने को निवारित करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस धारा के अधीन अपराध कम्पनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित किया जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या की ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी होना माना जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने के लिये दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) *"कम्पनी"* से निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम शामिल है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में *"निदेशक"* से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

31. जुर्माने का, जब वसूल किया जाय, भुगतान प्राधिकरण को किया जाय—सभी जुर्माने का, जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के सम्बन्ध में वसूल किया जाय, भुगतान प्राधिकरण को किया जायेगा।

32. अपराधों का शमन—(1) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन दण्डनीय बनाये गये किसी अपराध का, कार्यवाही को संस्थित करने के या तो पूर्व या के बाद, [1][उपाध्यक्ष (या साधारण या विशेष द्वारा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी)] द्वारा ऐसे निबन्धनों पर, जिनमें शमन फीस के भुगतान से सम्बन्धित कोई निबन्धन शामिल है, शमन किया जा सकेगा, जैसा कि [2][उपाध्यक्ष] (या ऐसा अधिकारी) ठीक समझे।

(2) जहाँ अपराध का शमन किया गया है, वहाँ अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, उन्मोचित किया जाएगा और उसके विरुद्ध शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में पुनः कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

33. प्राधिकरण की सुख सुविधा प्रदान करने या स्वामी के व्यतिक्रम की स्थिति में उसके व्यय पर विकास करने और कतिपय मामलों में उपकर उद्गृहीत करने की शक्ति—(1) यदि प्राधिकरण को स्थानीय जांच करने के बाद या उसके अधिकारियों में से किसी से रिपोर्ट पर या उसके कब्जे की अन्य सूचना पर समाधान हो जाता है कि विकास क्षेत्र में किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई सुख सुविधा उस भूमि के सम्बन्ध में प्रदान नहीं की गयी है, जिसे, प्राधिकरण की राय में, प्रदान किया जाना चाहिये या भूमि का कोई विकास, जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के प्रवर्तित होने के पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति अभिप्राप्त की गयी थी, नहीं किया गया है, तो वह भूमि के स्वामी या सुख सुविधा प्रदान करने वाले या प्रदान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को कारण दर्शित करने युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के बाद, आदेश द्वारा उससे ऐसे समय के भीतर, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, सुख सुविधा प्रदान करने या विकास करने की अपेक्षा कर सकेगा।

---

1. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 9 द्वारा "प्राधिकरण" के लिये प्रतिस्थापित।

(2) यदि आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई सुख सुविधा प्रदान नहीं की जाती या कोई ऐसा विकास नहीं किया जाता, तो प्राधिकरण स्वयं सुख सुविधा प्रदान कर सकेगा या विकास कर सकेगा या ऐसे अभिकरण के, जैसा कि वह ठीक समझे, माध्यम प्रदान करा सकेगा या करवा सकेगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, प्राधिकरण भूमि के स्वामी या सुख सुविधा प्रदान करने वाले या प्रदान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को युक्ति-युक्त अवसर यह कारण दर्शित करने के लिये प्रदान करेगा कि क्यों ऐसी कार्यवाही न की जाय।

(3) प्राधिकरण या सुख सुविधा प्रदान करने या विकास करने में उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत सभी व्यय की वसूली ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करे, उस तारीख से, जब व्यय के लिये मांग की जाती है, भुगतान तक ब्याज के साथ प्राधिकरण द्वारा स्वामी से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले या प्रदान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी और ऐसे व्यय की वसूली के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं होगा।

(4) पूर्वगामी उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ प्राधिकरण को विकास क्षेत्र में किसी भूमि के स्वामियों में से इतने द्वारा, जो उस भूमि के क्षेत्र के आधे से अन्यून का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिखित प्रत्यावेदन पर समाधान हो जाता है कि ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई सुख सुविधा प्रदान नहीं की गयी है, जिसे प्राधिकरण की राय में प्रदान की जानी चाहिये या, उस भूमि का कोई विकास, जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन या [1][इस अधिनियम के प्रारम्भ] के पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति अभिप्राप्त की गयी थी, नहीं किया गया है, वहाँ वह स्वयं सुख सुविधा प्रदान कर सकेगा या विकास कर सकेगा या ऐसे अभिकरण के, जिसे वह ठीक समझे, माध्यम से प्रदान करा सकेगा या कर सकेगा और उक्त भूमि के सभी स्वामियों से उपकर के उद्ग्रहण द्वारा व्यय की वसूली कर सकेगा :

परन्तु यदि उक्त प्रत्यावेदन करने वाले स्वामी तर्क देते हैं, कि बस्ती निर्माणकर्ता या सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा, जिसके माध्यम से या जिससे उनके द्वारा भूमि अर्जित की गयी थी, द्वारा सुख सुविधा प्रदान किये जाने का करार किया गया है या विकास कराने का करार किया गया है, तो वे प्राधिकरण के समक्ष ऐसे करार या अन्तरण विलेख या ऐसे करार को शामिल करते हुये समिति की उप-विधि की प्रतिलिपि दाखिल करेंगे और प्राधिकरण द्वारा इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक बस्ती निर्माणकर्ता या समिति को, यथास्थिति या कारण दर्शित करने की नोटिस नहीं दी गयी है कि क्यों ऐसी कार्यवाही न की जाय :

परन्तु यह और कि जहाँ प्राधिकरण को समाधान हो जाता है कि बस्ती निर्माण कर्ता या समिति निष्क्रिय हो गयी है या खोजे जाने योग्य नहीं है, वहाँ अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कोई नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(4-क) जहाँ प्राधिकरण उसके द्वारा विकसित क्षेत्र में कोई सुख सुविधा प्रदान करता है, वहाँ प्राधिकरण रख रखाव करने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ग्रहण किये जाने तक, जैसा कि धारा 34 में उपबन्धित है, विहित ढंग में भूमि या भवन के स्वामी से ऐसी सुख सुविधा को प्रदान करना कायम रखने या जारी रखने के लिये उपगत व्यय को ध्यान में रखते हुये उसके लिये ऐसा प्रभार, जैसा कि अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय, वसूल करने का हकदार होगा।]

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट उपकर कार्य पूरा होने की तारीख से भुगतान तक ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करे, ब्याज के साथ सुख सुविधा प्रदान करने या विकास करने में प्राधिकरण या उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत व्यय के समान होगा और मूल्यांकन किया जायेगा और सभी स्वामियों पर उनके स्वामित्वाधीन भूमि के सम्बन्धित क्षेत्र के अनुपात में उद्गृहीत किया जायेगा।

(6) उक्त उपकर किश्तों की ऐसी संख्या में संदेय होगा और प्रत्येक किश्त ऐसे समय पर और ऐसे ढंग में संदेय होगी, जैसा कि प्राधिकरण नियत करें और उपकर का बकाया भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा और उसकी वसूली के लिये कोई वाद सिविल न्यायालय में दाखिल नहीं होगा।

(7) इस धारा के अधीन प्राधिकरण या उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत व्यय प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जायेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र तथा उप-धारा (5) के अधीन उपकर, यदि कोई हो, का निर्धारण भी अन्तिम होगा।

(8) यदि उप-धारा (4) में निर्दिष्ट भूमि के स्वामियों और बस्ती निर्माणकर्ता या समिति के बीच किसी करार के अधीन सुख सुविधा प्रदान करने या विकास करने का उत्तरदायित्व ऐसे बस्ती निर्माणकर्ता या समिति पर निर्भर है, तो स्वामियों द्वारा उस उप-धारा के अधीन संदेय उपकर उनके द्वारा बस्ती निर्माणकर्ता या समिति से, यथास्थिति, वसूलनीय होगा।

34. प्राधिकरण की कतिपय मामलों में उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिये स्थानीय प्राधिकरण से अपेक्षा करने की शक्ति—जहाँ किसी क्षेत्र का प्राधिकरण द्वारा विकास किया गया है, वहाँ प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकरण से, जिसकी स्थानीय सीमा के अन्तर्गत इस प्रकार विकसित किया गया क्षेत्र स्थित है, सुख सुविधाओं के, जिन्हें, प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में प्रदान किया गया है, रख-रखाव के लिये और सुख सुविधाओं के जिन्हें, प्राधिकरण द्वारा प्रदान नहीं किया गया है किन्तु जिन्हें, उनकी राय में क्षेत्र में प्रदान किया जाना चाहिये, प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण के बीच करार किये गये निबन्धनों और शर्तों पर और जहाँ ऐसे निबन्धनों पर करार नहीं किया जा सकता, वहाँ प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को मामले के निर्देश पर स्थानीय प्राधिकरण से विचार करके सरकार द्वारा नियत किये गये निबन्धनों और शर्तों पर प्रदान करने के लिये उत्तरदायित्व ग्रहण करने की अपेक्षा कर सकेगा।

35. प्राधिकरण की विकास प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति—(1) जहाँ प्राधिकरण की राय में किसी विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की गयी किसी विकास योजना के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में, जिसे विकास द्वारा लाभ हुआ है, किसी सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हुयी है या वृद्धि होगी, वहाँ प्राधिकरण सम्पत्ति के स्वामी या उसमें हित धारण करने वाले किसी व्यक्ति पर सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में, जो विकास के निष्पादन के परिणामस्वरूप हुआ है, विकास प्रभार उद्गृहीत करने का हकदार होगा :

---

1. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित।

परन्तु कोई विकास प्रभार सरकार की स्वामित्वाधीन भूमि के सम्बन्ध में उदगृहीत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहाँ सरकार से सम्बन्धित कोई भूमि सरकार द्वारा पट्टे या अनुज्ञप्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गयी है, वहाँ यह भूमि या उस पर स्थित कोई भवन इस धारा के अधीन विकास प्रभार के अध्यधीन होगा।

(2) ऐसा विकास प्रभार—

(i) विकसित नगर या बस्ती में, यदि कोई हो या विकसित या पुनः विकसित अन्य क्षेत्र में स्थित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में धनराशि के एक तिहाई;

(ii) ऐसे नगर, बस्ती या अन्य क्षेत्र, जैसा कि पूर्वोक्त है, के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में धनराशि की एक तिहाई से, अनधिक

धनराशि, जिसके द्वारा विकास योजना के निष्पादन के पूर्ण होने पर सम्पत्ति का मूल्य प्राक्कलित है, जहाँ सम्पत्ति भवन से स्पष्ट है, जो ऐसे निष्पादन के पूर्व उसी ढंग में प्राक्कलित सम्पत्ति के मूल्य से अधिक है।

टिप्पणी

उन्नति प्रभार—उन्नति प्रभार की माँग केवल तब की जा सकती है, जब विकास प्राधिकरण द्वारा विकास किया जाता है। *गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद बनाम लज्जा राम।*[1]

36. प्राधिकरण द्वारा विकास प्रभार का निर्धारण—(1) जब [2][उपाध्यक्ष] को यह प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट योजना में विकास प्रभार की धनराशि निर्धारित किये जाने को समर्थ बनाने के लिये पर्याप्त प्रगति की गयी है, तब [3][उपाध्यक्ष] इस निमित्त किये गये आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा कि विकास प्रभार को अवधारित करने के प्रयोजन के लिये योजना का निष्पादन पूरा किया गया माना जाएगा और ऐसा होने पर सम्पत्ति के स्वामी या उसमें हित धारण करने वाले किसी व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा कि [4][उपाध्यक्ष] धारा 34 के अधीन सम्पत्ति के सम्बन्ध में विकास प्रभार की धनराशि का निर्धारण करने की प्रस्थापना करता है।

(2) [5][उपाध्यक्ष] इसके बाद सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा संदेय विकास प्रभार की धनराशि का निर्धारण ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के बाद करेगा और ऐसा व्यक्ति [6][उपाध्यक्ष] से ऐसे निर्धारण की लिखित में सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लिखित में घोषणा द्वारा [7][उपाध्यक्ष] को सूचित करेगा कि वह निर्धारण को स्वीकार करता है या उससे असहमत है।

---

1. (2000) 2 यू०पी०एल०बी० 203।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जब [1][उपाध्यक्ष] द्वारा प्रस्तावित निर्धारण उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिगृहीत किया जाता है, तब ऐसा निर्धारण अन्तिम होगा।

(4) यदि सम्बद्ध व्यक्ति निर्धारण से असहमत है या [2][उपाध्यक्ष] को उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित सूचना उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहता है, तो मामले का अवधारण [3][अध्यक्ष] द्वारा किया जायेगा [4][और ऐसा अवधारण किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।]

टिप्पणी

सुनवाई का अवसर आवश्यक—उन्नति प्रभार के उद्ग्रहण के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति सुनवाई के अवसर का हकदार है। *विनोद कुमार मलोटिया **बनाम** राज्य सरकार उ०प्र० एवं अन्य।*[5]

अपील—अपील उन्नति प्रभार को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध दाखिल की जा सकती है। *विनोद कुमार मालोटिया **बनाम** राज्य सरकार उ०प्र० एवं अन्य।*[6]

[7][37. **विनिश्चय की अन्तिमता**—[8][जैसा कि धारा 41 में उपबन्धित है, उसके सिवाय, अपील पर अध्यक्ष का प्रत्येक विनिश्चय] और अपील पर (यदि वह होती है और दाखिल की जाती है) केवल किसी विनिश्चय के अध्यधीन, धारा 15 या धारा 27 के अधीन उपाध्यक्ष या अन्य अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।]

38. **विकास प्रभार का भुगतान**—(1) इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत विकास प्रभार किश्तों की ऐसी संख्या में संदेय होगा और प्रत्येक किश्त ऐसे समय पर और ऐसे ढंग में संदेय होगी, जैसा कि इस निमित्त निर्मित उप-विधि द्वारा नियत किया जाय।

(2) विकास प्रभार का बकाया भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा और ऐसे बकाये की वसूली के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं होगा।

[9][38-क **भूमि उपयोग संपरिवर्तन प्रभार और नगर विकास प्रभार लगाने हेतु प्राधिकारी की शक्ति**—(1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में किसी विशेष भूमि का भूमि उपयोग, धारा 13 के अन्तर्गत महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना के संशोधन के परिणामस्वरूप बदल जाता है, तो प्राधिकारी ऐसे भू-स्वामियों पर भूमि संपरिवर्तन प्रभार, ऐसे ढंग और ऐसे दर से जैसा कि निर्धारित किया जाय, लगाने हेतु अधिकृत होंगे :

परन्तु प्राधिकारी द्वारा भू-स्वामी से भूमि उपयोग संपरिवर्तन प्रभार की वसूली, इस अधिनियम के धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना से पहले की जायेगी।

परन्तु यह भी कि जहाँ किसी महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय (जोनल) विकास योजना के क्रियान्वयन (क्रियाशील होने) के परिणामस्वरूप किसी विशेष भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है तो ऐसे भूमि के स्वामियों पर भूमि उपयोग प्रभार नहीं लगाया जायेगा।

(2) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में निजी विकासकर्ता को भूमि के समुच्चीकरण और विकास कार्य के लिए लाइसेन्स जारी किया गया है तो प्राधिकारी ऐसे भूमि के निजी विकासकर्ता पर नगर विकास प्रभार ऐसे ढंग से और ऐसे दर पर जैसा कि निर्धारित किया जाय, लगाने के लिए अधिकृत होगा।]

39. **सम्पत्ति के कतिपय अन्तरण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क**—(1) स्थावर सम्पत्ति के किसी अन्तरण विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा अधिरोपित शुल्क, विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित स्थावर सम्पत्ति के मामले में, प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की संगणना की जाती है, दो प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी :

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के पूर्वोक्त प्रतिशत के पाँच तक वृद्धि करेगा।

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 10(ख) द्वारा अन्तःस्थापित।
5. (2000) 1 एस०ए०सी० 269।
6. (2000) 1 एस०ए०सी० 269।
7. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. 2008 के उ०प्र० अधिनियम 1 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप सभी संग्रहण को, आनुषंगिक व्यय, यदि कोई हो, की कटौती के बाद, राज्य सरकार द्वारा अपने विवेकाधिकार में, या तो अकेले विकास प्राधिकरण को या विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और नगर महापालिका या नगर निगम को, यथास्थिति, ऐसे अनुपात में, जैसा कि समय समय से अवधारित किया जाय, ऐसे ढंग में और ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, आवंटित किया जायेगा और भुगतान किया जायेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 को इस तरह पढ़ा जायेगा, मानो यह विनिर्दिष्ट रूप से विकास क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति और ऐसे क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसमें निर्दिष्ट विशिष्टियों को पृथक रूप से उपवर्णित किये जाने की अपेक्षा करता है।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 64 को इस तरह पढ़ा जायेगा और अर्थान्वयन किया जायेगा, मानो यह विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को निर्दिष्ट करता है।

(5) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 172 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) और धारा 191 तथा उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 के खण्ड (XIII-ख) तथा धारा 128-क और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 62 के प्रावधान इस धारा के प्रावधानों से किसी असंगति की सीमा तक प्रभावी होने से प्रविरत हो जायेंगे और इस धारा के प्रावधान अभिभावी होंगे।

(6) संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6, 8 और 24 के प्रावधान ऐसी समाप्ति के सम्बन्ध में लागू होंगे, जैसे वे निरसन और पुनः अधिनियमन को लागू होते हैं।

[1][39-क. **सुख सुविधाओं के लिये पथकर**—प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के भीतर, ऐसे प्रसिद्ध सैरगाह (जिसमें प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक शामिल है) के लिये, जैसा कि अधिसूचित किया जाय, आगन्तुकों से ऐसे दर पर और ऐसे ढंग में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, सम्पर्क मार्गों और अन्य सुख सुविधाओं के प्रयोग के लिये पथकर प्रभारित करने और संग्रह करने का हकदार होगा :

परन्तु—

(क) प्रति आगन्तुक पथकर का दर [2][एक हजार रुपये] से अनधिक होगा;

(ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, आगन्तुकों के किसी वर्ग या वर्गों को पथकर के भुगतान से मुक्त कर सकेगी और किसी दिन या दिनों को नियत कर सकेगी, जिसको कोई पथकर प्रभार्य नहीं होगा।]

[3][39-ख **भूमि के संयोजन एवं विकास के लिए लाइसेन्स**—प्राधिकारी अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निजी विकासकर्ता को भूमि के संयोजन और विकास के लिए लाइसेंस, ऐसे ढंग से और इतने समय के लिए जैसा कि निर्धारित किया जाय, दे सकते हैं।

39-घ लाइसेन्स शुल्क उदग्रहण हेतु प्राधिकारी की शक्ति—प्राधिकारी अपने विकास क्षेत्र से निजी विकासकर्ता पर भूमि के संयोजन और विकास के लिए ऐसे ढंग और ऐसे दर पर जैसा कि निर्धारित किया जाय, लाइसेन्स शुल्क लगाने के लिए अधिकृत होंगे।]

[4][**40. प्राधिकरण के बकाया धन की वसूली**[5]—किसी फीस या प्रभार के मद में या किराया, प्रीमियम, लाभ या अवक्रय किश्त द्वारा भूमि, भवन या किसी अन्य सम्पत्ति, जंगम या स्थावर, के निस्तारण से प्राधिकरण के बकाया किसी धन की वसूली इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित वसूली के किसी अन्य ढंग द्वारा वसूली के अधिकार के प्रतिकूल हुये बिना—

---

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 48 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 2000 के उ०प्र० अधिनियम 9 की धारा 2 द्वारा (17-12-1999 से) प्रतिस्थापित।
3. 2008 के उ०प्र० अधिनियम की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1985 के उ०प्र० अधिनियम 21 की धारा 6 द्वारा (22-10-1984 से) प्रतिस्थापित।
5. विधिमान्यकरण—मूल अधिनियम, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश (1983 का 21) द्वारा संशोधित है, के अधीन की गई कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही मूल अधिनियम को, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधित है, तत्समान प्रावधान के अधीन किया गया या की गयी मानी जाएगी, मानो उक्त अधिनियम के प्रावधान सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थे। (उ०प्र० अधिनियम 21, 1985 की धारा 7)।

(क) या तो प्राधिकरण द्वारा कलेक्टर को भेजे गये बकाये की धनराशि के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाये के रूप में; या

(ख) ऐसे ढंग में, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (1959 का 2) की धारा 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 में उपबन्धित है, सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा की जा सकेगी, और उक्त अधिनियम के ऐसे प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण के बकाये की वसूली को लागू होंगे, जहाँ तक वे नगर महापालिका के बकाये कर की वसूली को लागू होते हैं, इसलिये तथापि उक्त अधिनियम पूर्वोक्त धाराओं में 'मुख्य नगर अधिकारी', 'महापालिका' तथा 'कार्यपालिकीय समिति' के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन क्रमशः 'उपाध्यक्ष' 'विकास प्राधिकरण' और 'अध्यक्ष' को निर्देश के रूप में किया जायेगा :

परन्तु वसूली के दो या अधिक ढंगों को प्रारम्भ किया जायेगा या एक साथ जारी रखा जायेगा।]

41. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण—(1) [1][प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष] ऐसे निर्देशों को क्रियान्वित करेंगे, जैसा कि इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय से उसको जारी किये जायें।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन [2][प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष] द्वारा उनकी शक्तियों के प्रयोग में या उनके कृत्यों के निर्वहन में या के सम्बन्ध में कोई विवाद [3][प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष] और राज्य सरकार के बीच उत्पन्न होता है, तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) राज्य सरकार, किसी समय, या तो स्वप्रेरणा पर या इस निमित्त उसको किये गये आवेदन पर [4][प्राधिकरण या अध्यक्ष] द्वारा निस्तारित किसी मामले के अभिलेखों या पारित आदेश या जारी किये गये निर्देश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान करने के लिये मँगा सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिये बिना ऐसे व्यक्ति के प्रतिकूल कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

[5][(4) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।]

टिप्पणी

उप-धारा (3) का क्षेत्र.—उप-धारा (3) में प्रयुक्त भाषा उ०प्र०सं० की धारा 397 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त भाषा के समान है, जो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को पुनरीक्षणीय शक्ति प्रदान करती है। इसका तात्पर्य है कि राज्य सरकार को प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणीय शक्ति है। *विनोद कुमार भलोटिया* ***बनाम*** *राज्य सरकार उ०प्र० एवं अन्य।*[6]

---

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 7(i) द्वारा (15-8-1975 से) प्रतिस्थापित।
2. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 7(i) द्वारा (15-8-1975 से) प्रतिस्थापित।
3. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 7(i) द्वारा (15-8-1975 से) प्रतिस्थापित।
4. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 41 की धारा 43 द्वारा (15-9-1976 से) प्रतिस्थापित।
5. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 7(ii) द्वारा (15-8-1975 से) अन्तःस्थापित।
6. (2000) 1 एस०ए०सी० 269.

पर व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण—पुनरीक्षण पर व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जो सन्निर्माण के लिये अनुमति प्रदान करने वाले आदेश द्वारा व्यथित है। *विनोद कुमार मलोटिया* ***बनाम*** *राज्य सरकार उ०प्र० एवं अन्य।*[1]

अन्तरिम आदेश.—राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के आदेश के आधार पर पुनः आगे सन्निर्माण को स्थापित करने या आगे सन्निर्माण या विकास को स्थगित करते हुये अन्तरिम आदेश पारित किया जा सकता है। *विनोद कुमार मालोटिया* ***बनाम*** *राज्य सरकार उ०प्र० एवं अन्य।*[2]

पुनरीक्षणीय शक्ति—राज्य सरकार को सन्निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने वाले आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण की शक्ति है। *विनोद कुमार मालोटिया* ***बनाम*** *राज्य सरकार उ०प्र० एवं अन्य।*[3]

पुनरीक्षण पोषणीय—सन्निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने वाला आदेश विनिश्चित मामले के समान है, इस प्रकार ऐसे आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय है। *विनोद कुमार मालोटिया* ***बनाम*** *राज्य सरकार उ०प्र० एवं अन्य।*[4]

समय सीमा—समय सीमा, जिसके भीतर सन्निर्माण का कार्य पूरा किया जाता है, आदेश में निर्धारित किया जाता है किन्तु इसमें वृद्धि की जा सकती है। *मेसर्स खुर्रम कार्पेट्स प्रा० लि०, सन्त रविदास नगर एवं अन्य* ***बनाम*** *राज्य सरकार उ०प्र० एवं अन्य।*[5]

42. विवरणी और निरीक्षण—(1) प्राधिकरण राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य सूचना देगा, जैसा कि राज्य सरकार समय समय से अपेक्षा करे।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के प्रतिकूल हुये बिना, राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी महायोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण से रिपोर्ट, विवरणी और अन्य सूचना मँगा सकेगा।

(3) राज्य सरकार या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सहायकों या कर्मकारों के बिना किसी भूमि में या पर यह सुनिश्चित करने के लिये प्रवेश कर सकेगा कि महायोजना के प्रावधानों को क्रियान्वित किया जा रहा है या किया गया है या विकास ऐसी योजना के अनुसार किया जा रहा है, या किया गया है।

(4) कोई ऐसा प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच के सिवाय और अधिभोगी को या कोई अधिभोगी नहीं है तो, भूमि या भवन के स्वामी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना नहीं किया जायेगा।

43. नोटिस इत्यादि की तामीली—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किसी नियम या विनियम द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील किये जाने के लिये अपेक्षित सभी नोटिस, आदेश और अन्य दस्तावेज, जैसा कि इस अधिनियम या ऐसे नियम या विनियम में अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय सम्यक् रूप से तामील किया गया माना जायेगा—

---

1. (2000) 1 एस०ए०सी० 269 ।
2. (2000) 1 एस०ए०सी० 269 ।
3. (2000) 1 एस०ए०सी० 269 ।
4. (2000) 1 एस०ए०सी० 269 ।
5. (2000) 2 एस०ए०सी० 734 ।

(क) जहाँ तामील किया जाने वाला व्यक्ति कम्पनी है, यदि दस्तावेज कम्पनी के सचिव को उसके पंजीकृत कार्यालय या उसके प्रधान कार्यालय या कारोबार स्थल पर भेजा जाता है और या तो—

(i) पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है; या

(ii) पंजीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय या कारोबार स्थल पर परिदत्त किया जाता है।

(ख) जहाँ तामील किया जाने वाला व्यक्ति फर्म है, यदि दस्तावेज फर्म को उसके प्रमुख कारोबार स्थल पर नाम या विशिष्टता द्वारा, जिसके अधीन उसका कारोबार किया जाता है, उसका शिनाख्त करके भेजा जाता है, और या तो—

(i) पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है; या

(ii) उक्त कारोबार स्थल पर परिदत्त किया जाता है।

(ग) जहाँ तामील किया जाने वाला व्यक्ति सार्वजनिक निकाय या निगम या समिति या अन्य निकाय है, यदि दस्तावेज उस निकाय, निगम या समिति के सचिव, कोषाध्यक्ष या अन्य मुख्य अधिकारी को उसके मुख्य कार्यालय पर भेजा जाता है और या तो—

(i) पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या

(ii) उस कार्यालय पर परिदत्त किया जाता है।

(घ) किसी अन्य मामले में, यदि दस्तावेज तामील किये जाने वाले व्यक्ति को भेजा जाता है और—

(i) उसे दिया जाता है या परिदत्त किया जाता है; या

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता, तो उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारोबार स्थल के, यदि विकास क्षेत्र के भीतर है, किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाया जाता है या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया या परिदत्त किया जाता है या भूमि या भवन के, जिससे वह सम्बन्धित है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाता है; या

(iii) उस व्यक्ति को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है।

(2) कोई दस्तावेज, जिसे किसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी पर तामील किये जाने के लिये अपेक्षित या प्राधिकृत है, उस भूमि या भवन (उस भूमि या भवन को नामित करते हुये) के "स्वामी" या "अधिभोगी" को, यथास्थिति, पुनः नाम या विवरण के बिना सम्बोधित किया जा सकेगा और सम्यक् रूप से तामील किया गया माना जायेगा—

(क) यदि इस प्रकार सम्बोधित दस्तावेज उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार भेजा या परिदत्त किया जाता है;

(ख) यदि इस प्रकार सम्बोधित दस्तावेज या इस प्रकार सम्बोधित उसकी प्रतिलिपि भूमि या भवन पर किसी व्यक्ति को परिदत्त किया जाता है या जहाँ भूमि या भवन पर कोई व्यक्ति नहीं है, जिसको उसे परिदत्त किया जा सकता है, वहाँ भूमि या भवन के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाता है।

(3) जहाँ दस्तावेज की तामीली उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार फर्म पर की जाती है, वहाँ दस्तावेज को उस फर्म के प्रत्येक भागीदार पर तामील किया गया माना जायेगा।

(4) किसी सम्पत्ति के स्वामी पर किसी दस्तावेज की तामीली को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिये, प्राधिकरण का सचिव लिखित नोटिस द्वारा सम्पत्ति के अधिभोगी (यदि कोई हो) से उसके स्वामी के नाम और पते को अभिकथित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) जहाँ व्यक्ति, जिस पर दस्तावेज को तामील किया जाना है, अवयस्क है, वहाँ उसके संरक्षक या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर तामीली अवयस्क पर तामीली होना माना जायेगा।

(6) सेवक इस धारा के अर्थान्तर्गत परिवार का सदस्य नहीं है।

44. **सार्वजनिक नोटिस कैसे जानकारी में लायी जायेगी**—इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक सार्वजनिक नोटिस लिखित में होगी, जिस पर प्राधिकरण के सचिव का हस्ताक्षर होगा और एतद्द्वारा प्रभावित किये जाने वाले क्षेत्र में उक्त क्षेत्र के भीतर सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों में उसकी प्रतिलिपियाँ चिपकाकर या ढोल बजाकर उसे प्रचारित करके या स्थानीय क्षेत्र में परिचालन वाले समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा या इन साधनों में से दो या अधिक ढंग द्वारा और किसी अन्य साधन द्वारा जिसे सचिव ठीक समझे, व्यापक रूप से प्रचारित किया जायेगा।

45. **नोटिस इत्यादि युक्तियुक्त समय नियत करेगा**—जहाँ इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किसी नियम या विनियम के अधीन जारी की गयी या किये गये कोई नोटिस, आदेश या दस्तावेज किसी चीज को किये जाने की अपेक्षा करता है, जिसे किये जाने के लिये इस अधिनियम या विनियम में कोई समय नियत नहीं किया जाता है, वहाँ नोटिस, आदेश या अन्य दस्तावेज उसे करने के लिये युक्तियुक्त समय विनिर्दिष्ट करेगा।

46. **आदेशों का प्रमाणीकरण तथा प्राधिकरण के दस्तावेज**—प्राधिकरण की सभी अनुमति, आदेश, विनिश्चय नोटिस और अन्य दस्तावेज प्राधिकरण के सचिव या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे।

47. **सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे**—प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होना माना जाएगा।

48. **न्यायालयों की अधिकारिता**—प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा।

49. **अभियोजन की स्वीकृति**—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये अभियोजन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा।

50. **सद्भाव में की गयी कार्यवाही के लिये अभियोजन**—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी चीज के लिये, जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किसी नियम या विनियम के अधीन सद्भाव में की जाती है या किये जाने के लिये आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

51. प्रत्यायोजन करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि नियम निर्मित करने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अध्यधीन किया जा सकेगा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) प्राधिकरण, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकेगा कि विनियम या उपनियम निर्मित करने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग भी ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अध्यधीन किया जा सकेगा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग भी प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अध्यधीन किया जा सकेगा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय।

52. व्यावृत्ति—इस अधिनियम की कोई बात—

(क) किसी भवन के रख-रखाव, सुधार या अन्य परिवर्तन के कार्य को क्रियान्वित करने को, जो ऐसा कार्य है, जो केवल भवन के आन्तरिक भाग को प्रभावित करता है या जो भवन के बाह्य रूप को तात्विक रूप से प्रभावित नहीं करता;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी नाली, गन्दे नाले, मुख्य तार, पाइप, केबल या अन्य उपकरण के निरीक्षण करने, मरम्मत करने या नवीकरण करने के प्रयोजन के लिये किसी कार्य के, जिसमें उस प्रयोजन के लिये किसी गली या अन्य भूमि को तोड़ना शामिल है, किये जाने को;

(ग) केन्द्रीय सरकार के विभाग द्वारा या की ओर से संक्रियात्मक सन्निर्माण (रख-रखाव, विकास और नये सन्निर्माण को शमिल करके),

(घ) भवन के निर्माण को, जो निवास गृह नहीं है, यदि ऐसे भवन की अपेक्षा कृषि के सहायक प्रयोजन के लिये की जाती है;

(ङ) कृषीय संक्रिया के सामान्य अनुक्रम में किये गये खनन कार्य (कुओं को शामिल करके) को, और

(च) गिट्टी विहीन सड़क के सन्निर्माण को, जो एकमात्र कृषीय प्रयोजन के लिये भूमि तक पहुँच बनाने के लिये आशयित हो, को लागू नहीं होगी।

53. छूट—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, यदि कोई हो, अध्यधीन, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, किसी भूमि या भवन या भूमि या भवन के वर्ग को इस अधिनियम के प्रावधानों में से सभी या किसी या इसके अधीन निर्मित नियमावली या विनियमों से छूट प्रदान कर सकेगी।

54. कतिपय मामलों में योजना को उपान्तरित किया जाएगा—(1) जहाँ विकास क्षेत्र में स्थित किसी भूमि की महायोजना या आंचलिक विकास द्वारा खुले क्षेत्र के रूप में या उस पर अनिर्मित रूप में रखे जाने की अपेक्षा की जाती है या किसी ऐसी योजना में अनिवार्य अर्जन के विषय के रूप में परिकल्पित की जाती है, वहाँ यदि धारा 12 के अधीन योजना के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष के पर्यवसान पर या जहाँ ऐसी भूमि ऐसी योजना के संशोधन द्वारा इस प्रकार अपेक्षित या अभिकल्पित है, वहाँ धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन ऐसे संशोधन के प्रवर्तन में आने की तारीख से भूमि अनिवार्य रूप से अर्जित नहीं की जाती वहाँ भू-स्वामी राज्य सरकार पर इस प्रकार अर्जित की जाने वाली भूमि में अपनी हित की अपेक्षा करते हुये नोटिस तामील करेगा।

(2) यदि राज्य सरकार नोटिस की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर ऐसी भूमि अर्जित करने में असफल रहती है, तो महायोजना या, यथास्थिति आंचलिक विकास का उक्त छः मास के पर्यवसान के बाद यह प्रभाव होगा मानो भूमि खुले स्थान के रूप में या उस पर निर्माण न होने के रूप में अर्जित नहीं की गयी थी या अनिवार्य अर्जन के विषय के रूप में अभिकल्पित नहीं थी।

55. नियम निर्मित करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये नियम निर्मित कर सकेगी।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिये प्रावधान कर सकेगा, अर्थात्—

[1][(क) धारा 15 की उप-धारा (5) या धारा 27 की उप-धारा (3) के अधीन अपील के ज्ञापन पर फीस का उद्ग्रहण;]

(ख) विकास प्रभार के अवधारण में [2][अध्यक्ष] द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और शक्तियाँ, जो उसे इस प्रयोजन के लिये होगा,

(ग) कोई अन्य मामला, जो नियम द्वारा विहित किया जाना हो या किया जा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिये रखा जाएगा यह अवधि एक सत्र में अथवा एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी; यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जायें, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गयी कोई बातचीत विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

56. विनियम निर्मित करने की शक्ति—(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण के मामलों के प्रशासन के लिये विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और इसके अधीन निर्मित नियमों से असंगत न हो।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा विनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिये प्रावधान कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) प्राधिकरण की बैठक को बुलाने और आयोजित करने, समय और स्थान, जहाँ ऐसी बैठक आयोजित की जानी है, ऐसी बैठक के कारोबार के संचालन और उसमें गणपूर्ति को गठित करने के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या;

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) प्राधिकरण के सचिव और मुख्य लेखाधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य,

(ग) सचिव, मुख्य लेखाधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें;

(घ) अध्याय 3 और 4 के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों को करने की प्रक्रिया;

(ङ) अनुमति के लिये आवेदन के रजिस्टर का प्रारूप और ऐसे रजिस्टर में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ;

(च) प्राधिकरण की सम्पत्ति का प्रबन्धन;

[1][(छ) धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन अनुमति के लिये आवेदन पर भुगतान की जाने वाली फीस;

(ज) निरीक्षण के लिये या दस्तावेजों और नक्शों की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये भुगतान की जाने वाली फीस;

(झ) कोई अन्य मामला, जिसे विनियम द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जाय।]

(3) जब तक प्राधिकरण की स्थापना इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र के लिये नहीं की जाती, तब तक कोई विनियम, जिसे उप-धारा (1) के अधीन बनाया जा सकेगा, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकेगा और इस प्रकार निर्मित किसी विनियम को सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में परिवर्तित या विखण्डित किया जा सकेगा।

57. उप-विधि निर्मित करने की शक्ति—प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सामान्य जन को प्रभावित करने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये इस अधिनियम और इसके अधीन निर्मित नियमों से संगत उप-विधि बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उप-विधि—

(क) प्रारूप, जिसमें, धारा 15 की उप-धारा के अधीन अनुमति के लिये कोई आवेदन किया जाएगा और ऐसे आवेदन में दी जानी वाली विशिष्टियाँ;

(ख) धारा 16 में निर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों, जिनके अध्यधीन योजना के उल्लंघन में भूमि और भवन का प्रयोगकर्ता बना रह सकेगा;

[2][(खख) धारा 32 के अधीन अपराध के शमन के लिये मार्ग निर्देशक सिद्धान्त;]

(ग) धारा 30 के अधीन विकास प्रभार के भुगतान का समय और ढंग;

[3][(घ) भवन निर्माण योजना या जल आपूर्ति, जल निकास और मल-जल निकास योजना की तैयारी के लिये वास्तविक, नगर नियोजक अभियन्ता, सर्वेक्षणकर्ता और नक्शा नवीस को अनुज्ञप्ति की स्वीकृति और ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिये भुगतान की जाने वाली फीस;

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 13 द्वारा जोड़ा गया।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 14(i) द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 14(ii) द्वारा अन्तःस्थापित।

(ङ) जब तक आंचलिक विकास योजना धारा 9 के अधीन तैयार नहीं की जाती, तब तक उस धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट मामले;

[1][(ङ.ङ) प्रमुख मार्ग और रंग योजना तथा अन्य विनिर्देश की परिभाषा, जिनके अनुसार ऐसी सड़क से संलग्न भवनों के गृह मुख को तैयार किया जाएगा, धारा 12 के अधीन सफेदी, रंगायी या रंजन करने;

[2][(च) किसी अन्य मामले जिसे उप-विधि द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकेगा] के लिये प्रावधान कर सकेगी।

58. प्राधिकरण का उपघटन—(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि प्रयोजन, जिसके लिये प्राधिकरण का इस अधिनियम के अधीन कथन किया गया था, सारभूत रूप से प्राप्त कर लिये गये हैं, जो राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण की निरन्तर विद्यमानता को अनावश्यक बना दे, वहाँ सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि प्राधिकरण को ऐसी तारीख से विघटित किया जाएगा, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये और प्राधिकरण को तदनुसार विघटित किया गया माना जाएगा।

(2) उक्त तारीख से—

(क) सभी सम्पत्ति, कोष और बकाया, जो प्राधिकरण में निहित हैं या द्वारा वसूलनीय है, राज्य सरकार में निहित होगा या द्वारा वसूलनीय होगा;

(ख) प्राधिकरण के व्ययन पर रखी गयी सभी नजूल भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जाएगी;

(ग) सभी दायित्व, जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा; और

(घ) किसी विकास को, जिसे प्राधिकरण द्वारा पूर्णरूप से नहीं किया गया है, क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये और खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्ति, कोष और बकाये की वसूली के प्रयोजन के लिये, प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

59. निरसन इत्यादि और व्यावृत्ति—(1) (क) [3][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] की धारा पाँच के खण्ड (ग), धारा 54, 55, 56 तथा 114 का खण्ड [XXXIII], धारा 117 की उप-धारा (3), धारा 119 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग), धारा 191, धारा 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 और 333 तथा धारा 334 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख), धारा 335, 336, अध्याय 14, [4][उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916] की धारा 178, 179, 180, 180-क, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 और 222 या उक्त धाराओं का विस्तार उसकी धारा 338 के अधीन या संयुक्त प्रान्त नगर क्षेत्र अधिनियम, 1914 की धारा 38 के अधीन किया जाता है या

---

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 14(ii) द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" के लिये प्रतिस्थापित।
4. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916" के लिये प्रतिस्थापित।

यथास्थिति, [1][उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961] की धारा 162 से 171 और उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण कार्यवाही का विनियमन) अधिनियम 1958 और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन, [2][सिवाय उन गृह निर्माण या सुधार योजनाओं के सम्बन्ध में, जिन्हें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन उसमें शामिल क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित करने के पूर्व अधिसूचित किया गया है, या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जो बाद में उस अधिनियम के अधीन जारी रहने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं या जो विशेष आवास परिषद् की योजना के रूप में इस धारा में निर्दिष्ट एतस्मिनपश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ ऐसी घोषणा के बाद प्रारम्भ किये जाते हैं, विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में विलम्बित रहेंगे, और [3][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] की धारा 139 की उप-धारा (3) का वही प्रभाव होगा, मानो विकास कोष के गठन से सम्बन्धित अपेक्षाओं को उस क्षेत्र के लिये प्राधिकरण के गठन की तारीख से निलम्बित किया गया और जब तक ऐसे प्राधिकरण का विघटन नहीं होता और [4][संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904] की धारा 6 और 24 के प्रावधान ऐसे निलम्बन के सम्बन्ध में लागू होंगे, मानों निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमिति के निरसन के समान है, और विशिष्ट रूप से भूमि के अर्जन से सम्बन्धित सभी कार्यवाही और उक्त अधिनियमिति के अधीन सुधार योजना के लिये भूमि में ही, जो किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष ऐसे निलम्बन के तत्काल पूर्व लम्बित है, जारी रह सकेगा और उक्त अधिनियमिति के प्रावधानों के अनुसार निर्णय दिया जाएगा (जो यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे) मानो ये प्रावधान निलम्बित नहीं किये गये थे, [5][और कोई ऐसी बात करने के लिये, जिसे उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण संक्रिया विनियमन) अधिनियम, 1958 के ऐसे निलम्बन के लिये विहित प्राधिकरण और नियन्त्रक प्राधिकरण द्वारा किये जा सकते थे और जो ऐसे निलम्बन के बाद उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के लागू होने के परिणामस्वरूप किया जा सकता है, क्रमशः उपाध्यक्ष या अध्यक्ष में निहित होगा।]

---

1. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961" के लिये प्रतिस्थापित।
2. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 47 की धारा 6(क)(i) द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित।
3. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" के लिये प्रतिस्थापित।
4. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 15(क) द्वारा (15.8.1974 से) प्रतिस्थापित।
5. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 47 की धारा 6(क)(ii) द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित।

(ख) खण्ड (क) के परिणामस्वरूप निलम्बित प्रावधानों का प्रवर्तन धारा 58 के अधीन प्राधिकरण के विघटन पर पुनः प्रारम्भ होगा और [1][संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24] के प्रावधान इस अधिनियम के तत्समान प्रावधानों की प्रयोज्यता की समाप्ति के सम्बन्ध में लागू होंगे मानो ऐसी समाप्ति उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के इन प्रावधानों के निरसन के समान होगा।

[2][(ग) खण्ड (क) और (ख) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [3][उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916] या उत्तर प्रदेश (भवन संक्रिया का विनियम) अधिनियम, 1958 या [4][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] यथास्थिति, के अधीन कोई उप-विधि, निर्देश या विनियम और इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के तत्कालपूर्व तारीख पर प्रवर्तन में हो, जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, प्रवर्तन में बने रहेंगे, जब तक इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न किया जाय।]

(2) जहाँ कोई क्षेत्र, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त नगर सुधार अधिनियम, 1919 के अधीन गठित सुधार न्यास अस्तित्व में है, धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र होना घोषित किया जाता है, वहाँ उक्त अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) अधिनियम, 1961, यदि लागू हो, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में उस क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से निरसित हो जायेगा और उस तारीख से सुधार न्यास का विघटन हो जायेगा।

(3) विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसमें सम्पूर्ण शहर शामिल है, जैसा कि [5][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] में परिभाषित है, विकास प्राधिकरण के गठन को और से, विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से तत्कालपूर्व उत्तर प्रदेश (भवन संक्रिया विनियम) अधिनियम, 1958 के अधीन या उक्त अधिनियम के अध्याय 14 के अधीन अनन्य रूप से उसके क्रियाकलाप के सम्बन्ध में उस शहर के [6][नगर निगम] की स्थापना पर सृजित सभी पद, जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1966 (एतस्मिनपश्चात् इस धारा में केन्द्रीयित सेवा के रूप में निर्दिष्ट द्वारा शासित पद नहीं है, ऐसी तारीख को और से विकास प्राधिकरण को ऐसे पद नाम के साथ अन्तरित हो जायेंगे, जैसा कि प्राधिकरण अवधारित करे और अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, जो उस शहर के [7][नगर निगम] के अधीन सेवारत किसी केन्द्रीयित सेवा के सदस्य

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 15(क) द्वारा (15.8.1974 से) प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 15(क)(iii) द्वारा (15.8.1974 से) अन्तःस्थापित।
3. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916" के लिये प्रतिस्थापित।
4. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" के लिये प्रतिस्थापित।
5. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" के लिये प्रतिस्थापित।
6. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "नगर महापालिका" के लिए प्रतिस्थापित।
7. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "नगर महापालिका" के लिए प्रतिस्थापित।

किए जायग, जसा कि उक्त पद पर नियुक्त किए जान के लिए राज्य सरकार द्वारा जारा किया जाय, और ऐसे चयन पर विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और उसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और इस प्रकार उसी अवधि तक, ऐसे पारिश्रमिक पर और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा कि वे उसे धारण करते, यदि प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है और ऐसा करता रहेगा, यदि और जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और [निबन्धनों तथा शर्तों को प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से अन्तरित नहीं किया जाता][1] :

परन्तु प्राधिकरण के गठन के पूर्व किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा [2][नगर निगम] के अधीन प्रदत्त किसी सेवा को प्राधिकरण के अधीन प्रदत्त सेवा होना माना जायेगा :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के निर्वहन में किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को नियोजित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी तद्नुसार उन कृत्यों का निर्वहन करेगा।

[3][(4) विकास क्षेत्र के, जिसमें सम्पूर्ण शहर शामिल है, जैसा कि [4][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] में परिभाषित है, शामिल है, सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख को और से, केन्द्रीयित सेवा द्वारा शासित सभी पद, जो विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख के ठीक पूर्व उसके उक्त क्रियाकलाप के सम्बन्ध में अनन्य रूप से उस शहर के [5][नगर निगम] के गठन पर सृजित है, ऐसी तारीख को और से ऐसे पद नाम के साथ विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे, किन्तु ऐसे सभी पद केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों द्वारा निरन्तर भरे जायेंगे, जैसे कि वे भरे जाते यदि वे प्राधिकरण को इस प्रकार अन्तरित न किए जाते और उक्त अधिनियम तथा केन्द्रीयित सेवा से सम्बन्धित नियम तद्नुसार संशोधित किए जाएंगे।]

(5) विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास के अधीन सेवारत प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी तारीख को और से ऐसे पदनाम के साथ विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जाएंगे और के अधिकारी या अन्य कर्मचारी होंगे, जैसा कि प्राधिकरण अवधारित करे और उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे, जिसे वह धारण करता, यदि प्राधिकरण का गठन न किया गया होता और ऐसा करता रहेगा, यदि और जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबन्धनों और शर्तों को प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं किया जाता :

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 15 (ख) द्वारा (15.8.1974 से) प्रतिस्थापित।
2. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "नगर महापालिका" के लिए प्रतिस्थापित।
3. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 15(ग) द्वारा (15.8.1974 से) प्रतिस्थापित।
4. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" के लिए प्रतिस्थापित।
5. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "नगर महापालिका" के लिए प्रतिस्थापित।

परन्तु प्राधिकरण के गठन के पूर्व किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा न्यास के अधीन प्रदत्त किसी सेवा को प्राधिकरण के अधीन प्रदत्त सेवा होना माना जाएगा :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के निर्वहन में किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को नियोजित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी तदनुसार इन कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(6) उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों के होते हुये भी—

(क) उप-धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी के अधीन की गयी कोई चीज या की गयी कोई कार्यवाही (जारी की गयी किसी अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या योजना या प्रदत्त अनुमति को शामिल करके) जहाँ तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है, प्रवर्तन में बना रहेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किया गया या की गयी मानी जाएगी यदि और जब तक उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन की गयी किसी चीज या की गयी किसी कार्यवाही से अधिक्रान्त नहीं किया जाता;

(ख) इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन से अनन्य रूप से सम्बन्धित उप-धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपगत सभी ऋण, बाध्यता या दायित्व, से की गयी सभी संविदा और के लिये किये गये सभी मामले और चीजों का सम्बद्ध विकास प्राधिकरण द्वारा उपगत किया गया, से किया गया या के लिये किये जाने के लिये संलग्न होना माना जाएगा।

(ग) सभी सम्पत्ति, जंगम और स्थावर, जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास में निहित है, सम्बद्ध विकास प्राधिकरण में निहित होगा, इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन से अनन्य रूप से सम्बन्धित [1][उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण] में निहित है, सम्बद्ध विकास प्राधिकरण में निहित होगी।

(घ) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास या इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन से अनन्य रूप से सम्बन्धित बकाया सभी किराया, फीस और धन की अन्य राशि विकास प्राधिकरण के प्रति बकाया होना मानी जाएगी;

(ङ) संस्थित किये गये सभी वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाही या जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में [2][उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त या गठित प्राधिकरण] द्वारा, की ओर से या के विरुद्ध संस्थित किया जा सकता है, विकास प्राधिकरण द्वारा, की ओर से या के विरुद्ध जारी रह सकेगा या संस्थित किया जा सकेगा,

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 15(घ)(i) द्वारा (15.8.1974 से) प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 15(घ)(ii) द्वारा (15.8.1974 से) प्रतिस्थापित।

[1][(घ) इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण संक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन सभी अपीलें, जो ऐसी घोषणा की तारीख पर नियन्त्रण प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हैं, अध्यक्ष को अन्तरित हो जाएंगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा और सभी ऐसी अपीलें, जो नियन्त्रण प्राधिकारी को सम्बोधित की गयी थीं और जो उक्त घोषणा के बाद अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की गयी थीं, अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की गयी मानी जाएगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।]

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, [2][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 139 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विकास को और उस कोष से सृजित सभी सम्पत्ति, और ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में या उक्त अधिनियम के अध्याय 14 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के सम्बन्ध में निगम द्वारा उपगत सभी ऋण, आबद्धता और दायित्व, के साथ की गयी सभी संविदा और के लिये किये जाने के लिये संलग्न सभी मामलों और चीजों को इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण की समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन से सम्बन्धित होना माना जाएगा और खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), और (ङ) तदनुसार लागू होंगे।]

(7) यदि किसी स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या उप-धारा (6) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिये किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई ऋण, आबद्धता या दायित्व उपगत किया गया था या के साथ कोई संविदा की गयी थी या के लिये किये जाने वाले किसी बात में संलग्न हुआ था या विकास प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन से अनन्य रूप से सम्बन्धित किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई किराया, फीस या अन्य धनराशि बकाया थी, तो इसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(8) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उप-धारा (3) के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध [3][नगर निगम] का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पहले अनन्य रूप से उस क्षेत्र में, जिसके लिये विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, [4][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] के अध्याय 14 के अधीन कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में अनन्य रूप से नियोजित किया गया था, तो इसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

---

1. 1975 के उ०प्र० अधिनियम 13 की धारा 15(घ)(iii) द्वारा (15.8.1974) से अन्तःस्थापित।
2. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" के लिए प्रतिस्थापित।
3. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "नगर महापालिका" के लिए प्रतिस्थापित।
4. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" के लिए प्रतिस्थापित।

(9) उप-धारा (3) और (4) की कोई बात [1][नगर निगम] या सुधार न्यास के यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी को लागू नहीं होगी, जो सम्बद्ध विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से एक मास के भीतर निगम या न्यास को विकास प्राधिकरण का कर्मचारी न होने की अपनी राय की सूचना देगा और उस निकाय द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसके अधीन उसका नियोजन इसके बाद समाप्त हो जाएगा उस निकाय के अधीन उसके पद का उन्मूलन हो जाएगा और यह उक्त निकाय से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा—

(क) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख के तत्काल पूर्व स्थायी हैसियत में नियोजित किया गया था, तो 3 मास के वेतन के समान;

(ख) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख के ठीक पूर्व अस्थायी हैसियत में नियोजित किया गया था, तो एक मास के वेतन के समान।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा में, अभिव्यक्ति "वेतन" में भत्ता, विशेष वेतन या आवधिक भत्ता या वेतन के समान कोई अन्य भत्ता शामिल है।

(10) उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अधीन प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा का अन्तरण उसे उस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और कोई ऐसा दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(11) उप-धारा (3) और (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी की गयी नियुक्ति या पदोन्नति वेतन में वृद्धि, पेन्शन, भत्ता या किसी व्यक्ति को प्रदत्त कोई अन्य लाभ इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद और विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख के पूर्व, जो विकास प्राधिकरण की राय में साधारणतया नहीं किया जाएगा या प्रदत्त नही किया जाएगा या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त सेवा के निबन्धनों और शर्तों के अधीन सामान्यतया ग्राह्य नहीं होगा, विकास प्राधिकरण या किसी भविष्य निधि, पेंशन या अन्य निधि से या कोष को शासित करने वाले किसी अन्य प्राधिकरण से प्रभावी होगा या संदेय होगा या दाय योग्य होगा, यदि राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्ति, पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अभिपुष्टि नहीं की है या पेन्शन, भत्ता या अन्य लाभ, यथास्थिति, की स्वीकृति को जारी रखने का निर्देश नहीं दिया है।

(12) व्यक्तियों को, जो विकास प्राधिकरण के गठन की तारीख से तत्काल पूर्व किसी विधि द्वारा या के अधीन नामित न्यासियों के अतिरिक्त उप-धारा (3) या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिये कथित किसी पेन्शन, (भविष्य निधि), उप-दान या अन्य समान कोष के न्यासी थे, ऐसे व्यक्ति को न्यासी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

---

1. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "नगर महापालिका" के लिए प्रतिस्थापित।

(13) उप-धारा (6) के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के प्रयोजनों के लिये [1][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] के अधीन [2][नगर निगम] के सभी कृत्य और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन [3][विशेष आवास परिषद् योजना] से सम्बन्धित कृत्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अन्य सभी कृत्य इस अधिनियम के अधीन विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्य होना माने जाएंगे।

[4][(14) [5][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] की धारा 365 में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुये भी, भूमि का सभी अर्जन और सुधार न्यास के लिये भूमि में हित, कृत्य जिसके सम्बन्ध में उप-धारा (3) के अधीन विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्य के रूप में माना जाना है, 31 दिसम्बर, 1982 को या के पूर्व कम से कम अधिनिर्णय करने के प्रक्रम तक पूरा किया जाएगा।

टिप्पणी

योजनाओं की छूट—यह धारा तीन प्रकार की योजनाओं को छूट प्रदान करती है, अर्थात्—

(क) गृह निर्माण एवं सुधार योजना, जो विकास क्षेत्र के रूप में उसमें शामिल क्षेत्र की घोषणा के पूर्व धारा 32 के अधीन अधिसूचित किया गया है;

(ख) योजना, जो धारा 28 के अधीन उक्त घोषणा के पूर्व अधिसूचित की गयी है, और जिसे उसके बाद परिषद के अधीन निरन्तरतता के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी है; और

(ग) योजना, जो राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ ऐसी घोषणा के बाद प्रारम्भ की जाती है। *यू० पी० आवास एवं विकास परिषद् बनाम राम कृष्ण एवं अन्य*।[6]

60. **निरसन और व्यावृत्ति**—(1) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अध्यादेश, 1973 (1973 का उ०प्र० अध्यादेश 7) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी चीज या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गयी मानी जाएगी, मानो यह अधिनियम, जून 1973 के 12वें दिन प्रारम्भ हुआ था।

---

1. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "नगर महापालिका" के लिए प्रतिस्थापित।
2. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" के लिए प्रतिस्थापित।
3. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 47 की धारा 6(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1976 के उ०प्र० अधिनियम 19 की धारा 10(ii) द्वारा मूलतः प्रभाव से अन्तःस्थापित और 1982 के उ०प्र० अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1997 के उ०प्र० अधिनियम 3 की धारा 11 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" के लिए प्रतिस्थापित।
6. (2002) 1 एस०ए०सी० 691।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये वैकल्पिक भूमि या आवास) नियमावली, 1997[1]

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 11), जैसा कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपतीय अधिनियम, (उपान्तरण के साथ पुनः अधिनियमन) अधिनियन, 1974, (1974 का उ०प्र० अधिनियम संख्या 30) द्वारा उपान्तरण के साथ पुनः अधिनियमित किया गया है की धारा 26-क के परन्तुक के साथ पठित धारा 55 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिये ढंग और शर्तों तथा निबन्धनों के लिये प्रावधान करने की दृष्टि में निम्नलिखित नियम बनाते हैं—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इन नियमों को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये वैकल्पिक भूमि या आवास) नियमावली, 1997।

(2) ये उत्तर प्रदेश में सभी विकास प्राधिकरणों को लागू होंगे।

(3) ये राज-पत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इस नियमावली में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं है, तब तक—

(क) "*अधिनियम*" से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 अभिप्रेत है;

(ख) "*धारा*" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सूची तैयार करना—(1) कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों की जिन्होंने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ की तारीख को या के पूर्व विकास क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिचार किया है, सूची—

(क) उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त किये गये प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी, यदि सार्वजनिक भूमि प्राधिकरण में निहित हैं; या

(ख) ऐसे अधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, जिसमें सार्वजनिक भूमि निहित है या जिसका सार्वजनिक भूमि पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण है, तैयार की जाएगी और प्रत्येक पृष्ठ पर यह प्रमाणित किया जाएगा कि सूची में व्यक्ति कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है।

---

1. विज्ञप्ति सं० 4070/IX-Aa-97, दिनांक 14.8.1997 द्वारा उ०प्र० गजट में 14.8.1997 को प्रकाशित हुआ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी सूची की प्रतिलिपि राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग को या स्थानीय प्राधिकरण से या विकास प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

4. वैकल्पिक भूमि या आवास का प्रस्ताव—(1) विकास, प्राधिकरण या राज्य सरकार का सम्बद्ध विभाग या स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में वर्णित व्यक्ति द्वारा विकास क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर किये गये किसी अतिचार को हटाने के पूर्व लिखित में ऐसे व्यक्ति के परिवार के मुखिया को ऐसे आकार की, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय से अधिसूचित किया जाय, भूमि या निर्मित, अर्द्ध निर्मित या अनिर्मित आवास का प्रस्ताव करते हुये लिखित में नोटिस देगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट भूमि या आवास ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि आवंटन आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक किश्तों में आवंटनीय से वसूल की जाने वाली ऐसी भूमि या आवास के लागत के बदले में आवंटित किया जाएगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये उसके वित्त पोषण या पुनः वित्तपोषण योजना के लिये नगर विकास नियम या राष्ट्रीय गृह निर्माण बैंक द्वारा निर्मित योजना से संगत होगा :

परन्तु मासिक किश्त का भुगतान नियत समय के भीतर किया जाना चाहिए, जिसमें असफल रहने पर सामयिक भुगतान के लिये उसको उपलब्ध प्रोत्साहन उस मास के लिये उपलब्ध नहीं होगा और आवंटनीय उसके सम्बन्ध में लागू विधि के अनुसार बेदखली के लिये दायी होगा।

5. करार का निष्पादन—विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग या स्थानीय प्राधिकरण आवंटनीय के बीच नियम 4 के अधीन उसको आवंटित भूमि या आवास के लागत के भुगतान के लिये वैकल्पिक भूमि या भवन के लिये दोषपूर्ण निष्पादित किया जाएगा और इसके बाद आवंटनीय करार के 30 दिनों के भीतर उसके द्वारा अतिचार की गयी सार्वजनिक भूमि को खाली कर देगा और आवंटित भूमि या आवास का, यथास्थिति, कब्जा उसके द्वारा अतिचार की गयी सार्वजनिक भूमि को खाली करने के एक घण्टे के भीतर आवंटिती को दिया जाएगा।

6. सार्वजनिक भूमि को खाली करने की असफलता का परिणाम—जहाँ आवंटिती नियम 5 के अधीन सार्वजनिक भूमि को खाली करने में असफल रहता है या नियम 4 के अधीन किसी प्रस्ताव को प्रतिगृहीत करने का लोप करता है, तो यह धारा 26-क की उप-धारा (4) के परन्तुक का पर्याप्त अनुपालन होना माना जाएगा और आवंटनीय किसी और नोटिस के बिना सार्वजनिक भूमि से हटाये जाने के लिये दायी होगा और यदि आवश्यक हो, तो अतिचार बलपूर्वक हटाया जा सकेगा।

7. आवंटित भूमि या आवास अन्तरण के रजिस्ट्रीकरण तक सार्वजनिक भूमि होगा—(1) जब तक नियम 4 के अधीन आवंटित भूमि या आवास का स्वामित्व रजिस्ट्रीकृत लिखत के माध्यम से आवंटिती को अन्तरित नहीं किया जाता, तब तक भूखण्ड या आवास आवंटिती से सम्बन्धित नहीं होगा और धारा 26-क के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक भूमि होना बना रहेगा।

(2) जहाँ व्यक्ति किसी आवंटन के बिना भूमि या आवास का कब्जाधारी है, वहाँ उसे धारा 26-क के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक भूमि पर अतिचार करने वाला माना जाएगा।

8. आवंटिती द्वारा पुनः अतिचार—(1) कोई व्यक्ति, जो इस नियमावली के अधीन वैकल्पिक भूमि या आवास को प्रस्तारित या आवण्टित किये जाने के लिये विकास क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि में पुनः प्रवेश करता है, धारा 26-क के प्रयोजनों के लिये अप्राधिकृत अधिभोगी होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसको एक बार उसके पुर्नवास के लिये वैकल्पिक भूमि या आवास का प्रस्ताव दिया गया है, पुनः इस नियमावली के अधीन पुनर्वास के लिये हकदार नहीं होगा।

प्रारुप-1

[देखें नियम 3(1)]

.... विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक भूमि पर अतिचार करने वाले कमजोर वर्गों से सम्बन्धित परिवारों या व्यक्तियों का विवरण

क्षेत्र/मोहल्ला/बस्ती का नाम.......... अवस्थित..........

क्रम सं०	परिवार के प्रमुख का नाम	आयु	पिता का नाम	स्थायी आवास या पता	क्या राशन पत्र धारक है? यदि हां, तो क्या निम्न वर्ग से सम्बन्धित है।		परिवार के सदस्यों का विवरण			सार्वजनिक भूमि पर सन्निर्माण	सार्वजनिक भूमिका का विवरण, जिस पर अतिचार किया गया है।
					गरीबी रेखा	गरीबी रेखा के ऊपर	नाम	आयु	परिवार के कर्ता के साथ सम्बन्ध	अतिचार की प्रकृति (क्या कच्चा/ कच्चा-पक्का/ पक्का)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4											
5											
6											
7											
8											
9											